

## प्रावथन

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरणी में पारदर्शिता और उत्तरदायित्वों के संवर्द्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के सूचना का अधिकार की व्यावहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम की धारा-4 में प्रत्येक लोक प्राधिकारी को 17 मैनुअल तैयार कर प्रकाशित करने का प्राविधान है। प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना उपलब्ध रहेगी, ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन किया जायेगा तो आधारभूत सूचनायें इन मैनुअल्स में ही उपलब्ध हो जायेगी तथा शेष सूचनाओं के लिए अन्य श्रोतों का आश्रय लेना होगा।

राजस्व विभाग, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा अधिनियम की धारा-4 में निर्धारित 17 मैनुअलों के अन्तर्गत विभागीय विभिन्न सूचनाओं को एक स्थान पर केन्द्रित कराने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यद्यपि प्रारम्भिक स्तर पर यह कार्य एक अभिनव तथा चुनौतीपूर्ण कार्य है तथापि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुरूप 17 मैनुअलों को तैयार करने में सहभाग करना एक सुखःद अनुभव भी है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में तैयार किये उक्तानुसार मैनुअल्स का स्वरूप एक प्रारम्भिक अवस्था है जिसको भविष्य में निरन्तर अद्यावधिक किया जाता रहेगा। मैनुअल्स को कम्प्यूटरीकृत कर इस कार्यालय की वैबसाइट ([garhwal.uk.gov.in](http://garhwal.uk.gov.in)) में भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि जन सामान्य को संबंधित जानकारियां/सूचनायें सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सकें।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त 17 मैनुअल्स को उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों तथा मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के मार्गदर्शन के अनुसार तैयार करवाया गया। मैनुअल्स की सामग्री एकत्रित करने एवं उन्हें लिपिबद्ध करवाने एवं वर्तमान स्वरूप में उन्हें प्रस्तुत करने में श्री नेत्र सिंह रावत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, एवं श्री बलदेब प्रकाश वरिष्ठ सहायक का प्रशंसनीय योगदान रहा।

( विनय शंकर पाण्डेय )  
आयुक्त  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

## प्रस्तावना

गढ़वाल मण्डल का सृजन दिनांक 01.01.1969 को हुआ था। सृजन से पूर्व यह कुमायूं डिवीजन का हिस्सा हुआ करता था। सृजन के समय इसमें जनपद गढ़वाल, चमोली, टिहरी तथा उत्तरकाशी जनपद सम्मिलित थे। बाद में उ0प्र0 शासन की विज्ञाप्ति संख्या—5—3(1)/1972 (327) दिनांक 04 जून 1975 से देहरादून जनपद को मेरठ मण्डल की सीमा से पृथक कर गढ़वाल मण्डल में सम्मिलित किया गया था और उत्तराखण्ड राज्य गठन के फलस्वरूप उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्राविधिनों के तहत हरिद्वार जनपद को भी गढ़वाल मण्डल में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार वर्तमान में समय में रुद्रप्रयाग को नया जिला बनाये जाने पर गढ़वाल मण्डल में 07 जनपद सम्मिलित हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल 32,449 वर्ग कि0मी0 है।

गढ़वाल मण्डल के दो जनपद चमोली तथा उत्तरकाशी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (भारत तिब्बत) से लगे होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद है। मण्डल के पूरब में कुमायूं मण्डल के जनपद बागेश्वर, पिथौरागढ़ पश्चिम में हिमालय प्रदेश, उत्तर में हिमालय पर्वत की ऊँची—ऊँची पर्वत श्रंखलाये तथा दक्षिण में उत्तर प्रेदेश के जनपद सहारनपुर व बिजनौर स्थित है। ऊँची—ऊँची पर्वत श्रंखलाये तथा कल—कल बहती नदियों की सुरम्य वादियों में बसा यह मण्डल धार्मिक आस्था, पर्यटन तथा सामरिक दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

गढ़वाल मण्डल में जहां एक ओर विश्व के करोड़ो हिन्दूओं की आस्था के प्रतीत चारधाम यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री केदारनाथ तथा श्री बद्रीनाथ है, वहीं दूसरी ओर सिख धर्म का विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गुरुगोविन्द सिंह की तपस्थली हेमकुण्ड साहिब एवं मुसलमानों की आस्था का प्रतीत पिनारकलियर है।

पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, पहाड़ों की रानी मसूरी, हिमक्रीडारथल औली तथा अन्य अनेक धार्मिक एवं साहसिक पर्यटक स्थल विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकृषित करते हैं।

### (1) हिन्दुओं की धार्मिक आस्था के प्रतीक चारधाम—

गढ़वाल मण्डल को पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयागों की भूमि होने का गौरव प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों के तीर्थस्थल भी गढ़वाल मण्डल में स्थित

है। गढ़वाल मण्डल में स्थित मुख्य-मुख्य धार्मिक स्थलों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा रहा है:-

## यमुनोत्री

गढ़वाल मण्डल में अवस्थित हिन्दुओं के चार पवित्र धार्मिक स्थलों में यमुनोत्री धाम का पहला स्थान है। यह पवित्र धाम जनपद उत्तरकाशी में लगभग 3,165 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, यहां पर यमुना जी का पौराणिक मंदिर है। प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल से नवम्बर तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। इस अवधि में लाखों श्रद्धालु यहां पहुँच कर यमुना जी के दर्शन करते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से सड़क मार्ग से जानकी चट्टी लगभग 205 कि०मी० तथा इसके आगे लगभग 05 कि०मी० पैदल मार्ग से यमुनोत्री पहुँचा जा सकता है। जानकी चट्टी में पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए घोड़े, पालकी तथा पोर्टर उपलब्ध है। यात्रियों को आवासीय सुविधा के लिए यमुनोत्री में धर्मशालायें तथा जानकी चट्टी में पर्यटन विभाग का विश्राम गृह उपलब्ध है।

## गंगोत्री

गंगोत्री हिन्दुओं के चार पवित्र धामों में दूसरा पवित्र धाम है। यह गढ़वाल मण्डल के जनपद उत्तरकाशी में समुद्रतल से लगभग 3,140 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। गंगा जी का पवित्र एवं पौराणिक मंदिर यहां पर भागीरथी नदी के दाहिने तट पर स्थित है। हिन्दू धर्म ग्रंथों में उल्लेख आया है, कि भगवान शिव ने इस स्थान पर गंगा जी को अपनी जटाओं से उतारा था। कहां जाता है कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18 वीं शताब्दी में गोरखा कमाण्डर अमर सिंह थापा ने कराया था। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जी के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। मंदिर माह अप्रैल से नवम्बर तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। गंगा जी का उदगम स्थल गोमुख गंगोत्री मंदिर तक लगभग 249 कि०मी० सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। होटल, धर्मशालायें, पर्यटन विभाग के विश्राम गृह, लो०नि०वि०, व वन विभाग के निरीक्षण भवन श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए यहां उपलब्ध है।

## श्री केदारनाथ

गढ़वाल मण्डल के जनपद रुद्रप्रयाग में समुद्रतल से लगभग 3,561 मीटर की ऊँचाई पर स्थित केदारनाथ धाम विश्व के करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र है।

कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण 08 वीं शताब्दी में जगदगुरु शंकराचार्य ने किया था। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के पीठ के भाग की पूजा की जाती है। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल से नवम्बर तक खुला रहता है। इस अवधि में देश तथा विदेशों के लाखों श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आते हैं। निकटतक रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से गौरीकुण्ड तक सड़क मार्ग से तथा गौरीकुण्ड से 14 कि0मी0 पैदल मार्ग से केदारनाथ पहुँचा जा सकता है। गौरीकुण्ड से पैदल यात्रियों के लिए घोड़ा, पालिका आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विगत 02 वर्षों से अगस्तमुनि से केदारनाथ तक हवाई मार्ग से हेलीकाप्टर की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आवासीय सुविधा हेतु होटल, धर्मशाला, मंदिर समिति के विश्राम गृह आदि उपलब्ध हैं।

## श्री बद्रीनाथ धाम

श्री बद्रीनाथ धाम गढ़वाल मण्डल में स्थित चार धामों में से एक तथा हिन्दुओं का विश्व प्रसिद्ध आस्था का केन्द्र है। यह धाम जनपद चमोली समुद्रतल से लगभग 3,133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनन्दा नदी के किनारे पर स्थित है। कहा जाता है कि श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण 08 वीं शताब्दी में जगदगुरु शंकराचार्य जी ने कराया था। यहां प्रतिवर्ष देश के कौनें—कौनें से तथा विदेशों से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और दर्शन कर पुण्य अर्जित करते हैं। मंदिर प्रत्येक वर्ष जाड़ों में बन्द रहता है, तथा अप्रैल—मई से नवम्बर तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। मंदिर की व्यवस्था श्री बद्रीनाथ—केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा मुख्य कार्याधिकारी एवं अन्य अधिनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। श्री बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है, जो परम्परा के अनुसार दक्षिण भारत के केरल राज्य के निवासी होते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय परम्परा के अनुसार डिमरी पंचायत के सदस्यों/पुजारियों के द्वारा भी मंदिर में पूजा की जाती है। मंदिर माह अप्रैल से नवम्बर तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है, जो निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से लगभग 300 कि0मी0 सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए आवासीय सुविधा के लिये यहां पर मंदिर समिति के विश्राम गृह, धर्मशालायें, लो0नि0वि0, सिचांई विभाग व गढ़वाल मण्डल विकास निगम के विश्राम गृह उपलब्ध हैं।

## 2— पंच बदरी:-

- 1.बद्रीनाथ ।
- 2.वृद्ध बदरी ।

- 3.भविष्य बदरी ।
- 4.आदि बदरी ।
- 5.योगध्यान बदरी ।

### 3— पंच केदारः—

- 1.तुंगनाथ ।
- 2.रुद्रनाथ ।
- 3.मदमहेश्वर ।
- 4.कल्पेश्वर ।
- 5.केदारनाथ ।

### 4— पंच प्रयागः—

- 1.देवप्रयाग ।
- 2.रुद्रप्रयाग ।
- 3.कर्णप्रयाग ।
- 4.नन्दप्रयाग ।
- 5.विष्णुप्रयाग ।

### 5— सिखों के धार्मिक स्थलः—

#### **हेमकुण्ड साहिब**

गढ़वाल मण्डली को हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों का ही नहीं बल्कि सिखों के गुरु गोविन्दसिंह की तपस्थली होने का गौरव भी प्राप्त है। गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली में समुद्रतल से लगभग 4,329 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हेमकुण्ड साहिब सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसके समीप ही लक्ष्मण मंदिर होने के कारण यह हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र भी है। प्रत्येक वर्ष देश तथा विश्व के अनेक भागों से लाखों की संख्या में सिख तीर्थ यात्री हेमकुण्ड साहिब के दर्शन के लिये पहुँचते हैं। कहां जाता है कि हेमकुण्ड में सिखों के दसवें गुरु गोविन्दसिंह ने तपस्या की थी, इसी कारण यह स्थान सिखों के धार्मिक एवं पवित्र तीर्थ स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यहां पहुँचने के लिये निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से गोविन्दघाट तक सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है तथा गोविन्दघाट से लगभग 20 किमी पैदल मार्ग से हेमकुण्ड साहिब पहुँचते हैं। हेमकुण्ड साहिब में यात्रियों के लिये गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सहयोग से निर्मित धर्मशालयों उपलब्ध हैं।

### 6—मुसलिम धार्मिक स्थलः—

## पिरानकलियर

गढ़वाल मण्डल के जनपद हरिद्वार से लगभग 23 कि०मी० की दूरी पर हरिद्वार—बहादराबाद—रुड़की रोड़ पर स्थित मुसलमानों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यहां पर शैय्यद इमामुददीन रेहमातुल्ला की मजार है। यहां पर प्रत्येक वर्ष माह जून—जुलाई में एक सप्ताह का धार्मिक उत्सव आयोजित किया जाता है, और श्रद्धालु मजार पर चादर चढ़ाते हैं। यह मजार मुसलमान श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है।

### 7—हिन्दू धार्मिक व पर्यटन स्थलः—

उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार सम्भावनायें होने के कारण इस प्रदेश को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर प्रदर्शित करने हेतु सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। गढ़वाल मण्डल को प्रकृति ने अनेक ऐसे क्षेत्र दिये हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से अद्वितीय हैं। गढ़वाल मण्डल में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों का विवरण निम्न है।

## हरिद्वार

गढ़वाल मण्डल में हरिद्वार धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का केन्द्र है। पुराणों में इसे मायापुरी और गंगाद्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों की तलहटी में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक खुबसूरत नगर है। कहां जाता है कि यहां पर राजा भगीरथ के पुरुखों ने तपस्या की थी। हरिद्वार उन चार प्रमुख धार्मिक नगरों में से एक है यहां प्रत्येक 12 वर्षों में कुम्भ मेला आयोजित किया जाता है। हिन्दुओं का ऐसा विश्वास है कि जो एक बार हरिद्वार में गंगा स्नान कर लेता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसी कारण अनेक अवसरों पर लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री यहां पवित्र गंगा में स्नान करने आते हैं। हरिद्वार देश के अन्य भागों से रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यात्रियों तथा श्रद्धालुओं के लिये यहां पर होटल, धर्मशालायें, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटन आवास गृह, लो०नि०वि०, तथा सिंचाई विभाग के विश्राम गृह उपलब्ध हैं। हरिद्वार के आस—पास अनेक अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थल जैसे हरकी पैड़ी, भीमगोड़ा, मनसादेवी

मंदिर, परमारथ आश्रम, सप्तऋषि आश्रम, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, आदि पर्यटकों और श्रद्धालुओं का अपनी ओर आकृषित करता है।

## ऋषिकेश

गढ़वाल मण्डल में स्थित ऋषिकेश पुराने समय से ही ऋषि मुनियों की तपस्या का केन्द्र रहा है। कहां जाता है कि भगवान रामचन्द्र जी के बड़े भाई भरत ने यहां गहन तपस्या की थी इस कारण यहां पर प्रसिद्ध भरत मंदिर की स्थापना की गयी थी। ऐसा भी कहां गया है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने एक ऋषि के रूप में कठोर तपस्या की थी, इसी कारण यहां का नाम ऋषिकेश पड़ा था। वर्तमान समय में यह धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ साहसिक पर्यटन का केन्द्र भी बन गया है, यहां से लगभग 10 किमी की दूरी पर शिवपुरी नामक स्थान पर जलक्रीडा राफटिंग स्थल है, जहां सैलानी कैम्प लगाकर जलक्रीडा का आनन्द लेते हैं। ऋषिकेश देश के सभी भागों से सड़क व रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। यहां यात्रियों व पर्यटकों की आवासीय सुविधा के लिये होटल धर्मशालायें उपलब्ध हैं।

## नन्दा राजजात

नन्दा राजजात उत्तराखण्ड की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है, जो इस भूमि की सांस्कृतिक विरासत की महक चारों ओर बिखेर देती है। यह यात्रा इस देव भूमि में मानव और देवताओं के संबंधों की अनूठी दास्तान है। यह यात्रा पहाड़ के कठोर जीवन का आयना है, तो पहाड़ी में ध्याणी (विवाहित लड़की) के संघर्षों की कहानी भी है।

नन्दा राजजात की शुरुआत आठवीं सदी के आस-पास हुई बताई जाती है। यह वह काल था, तब आद्य गुरु शंकरचार्य ने देश के चारों कोनों में चार पीठों की स्थापना की थी। रूपकुण्ड के नरकंकाल, बगुवावासा में स्थित आठवीं सदी की सिद्ध विनायक भगवान गणेश की काले पत्थर की मूर्ति आदि इस यात्रा की ऐतिहासिकता को सिद्ध करते हैं। साथ ही गढ़वाल के परपरागत नन्दा जागर भी इस यात्रा की कहानी को बखूबी बयां करती है। नन्दा से जुड़ी जात (यात्रा) दो प्रकार की है। वार्षिक जात और राजजात वार्षिक जात प्रतिवर्ष अगस्त-सितम्बर माह में होती है, जो कुरुड़ के नन्दा मंदिर से शुरू होकर वेदनी तक जाती है, और फिर लौट आती है, लेकिन राजजात 12 वर्ष या उससे अधिक समयांतराल में होती है। मान्यता है कि राजजात तब होती है जब देवी का दोष लगने के लक्षण दिखाई देते हैं। क्षेत्र चौसिंग्या मेडा पैदा हो जाता है। ध्याणी(विवाहिता लड़की) भूमिया देवी ऊफराई की पूतजा करती है, इसे मौड़वी कहां जाता है। ध्याणियां यात्रा निकालती हैं, जिसे डोल जातरा कहा जाता है। कांसुआ के कुंवर नौटी जाकर राजजात की मनौती करते हैं। कुंवर रिंगाल की छतोली और चौसिंग्या मेडा लेकर जाते हैं।

यह ऐतिहासिक यात्रा जनपद चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है और कुरुड़ के मंदिर से भी दशोली और बधाण की डोलिया राजजात के लिए निकलती है। अलग—अलग रास्तों से ये डोलिया यात्रा में मिलती है। इसके अलावा गांव—गांव से डोलियों और छतोलियां भी इस यात्रा में मिलती हैं। इसके अलावा भी अल्मोड़ा, कटारमल और नैनीताल से डोलियां नन्दकेशरी में राजजात में शामिल होती हैं। नौटी से शुरू हुई इस यात्रा का दूसरा पडाव इड़ा बधाणी है। फिर यात्रा लौटकर नौटी आती है। इसके बाद कांसुवा, सेम, कोटी, भगौती, कुलसारी, चैपड़ों, नन्दकेशरी, बन्दियागांव, मुंदोली, वाण, गैरोलीपातल से ऐतिहासिक वेदनी कुड़, पातर नचौणियां से विश्व विख्यात रूपकुंड, शिला समुद्र, होमकुण्ड से चंदनियाघाट, सेतुल से घाट होते हुए नन्दप्रयाग और फिर नौटी आकर यात्रा का चक पूरा होता है। यह दूरी करीब 280 कि०मी० है।

वर्ष 2000 में इस राजजात को व्यापक प्रचार मिला और देश—विदेश के हजारों लोग इसमें शामिल हुए थे। राजजात उत्तराखण्ड की समग्र संस्कृति को प्रस्तुत करता है। इसीलिए 26 जनवरी 2005 को उत्तराखण्ड राज्य की झाँकी राजजात पर निकाली गई थी।

## 8—साहसिक पर्यटन स्थल:—

गढ़वाल मण्डल में अनेक साहसिक पर्यटक स्थल हैं, उनमें से मुख्य साहसिक पर्यटन स्थलों का विवरण निम्न प्रकार है:—

### **फूलों की घाटी**

गढ़वाल मण्डल में साहसिक पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी का महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटनों को फूलों की इस रमणीक एवं अविस्मरणीय घाटी तक पहुँचने के लिये ऋषिकेश—बदरीनाथ मोटर मार्ग पर गोविन्द घाट तक वाहनों से सड़क यात्रा सुलभ है, और गोविन्दघाट से 19 कि०मी० पैदल दूरी पर घांघरिया तथा वहां से 5 कि०मी० की दूरी पर असंख्य फूलों से सजी लगभग 4 कि०मी० क्षेत्र में फैली घाटी फूलों की घाटी(वैली आफ फ्लावर्स) के नाम से जानी जाती है। 3500 कि०मी० से 4500 कि०मी० तक की ऊंचाई तक फैली फूलों की घाटी में अनुपम सौंदर्य को देखने पर्यटन काफी संख्या में अगस्त—सितम्बर माह में आते हैं। यहां फूलों की अनगिनत किस्मों के अलावा जड़ी बूटियों भी बहुतायत में मिलती है। फूलों की घाटी उत्तराखण्ड के पर्यटन स्थलों में ही नहीं, अपितु विश्व के पर्यटन स्थलों में भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। हमारे देश के कौने—कौने से तथा विश्व के अनेक देशों के पर्यटन प्रति वर्ष यहां आते हैं और प्रकृति के सौंदर्य का आनन्द उठाते हैं।

### **औली**

गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली में जौशीमठ से 12 किमी0 की दूरी पर स्थित औली गर्मियों में हरी भरी मखमली घास एवं शीतकाल में हिमक्रीड़ा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पर्यटकों को यहां पहुँचने के लिए जोशीमठ से 12 किमी0 बस से अथवा 04 किमी0 रोपवे से जाना पड़ता है। 2,540 मीटर से 3050 मीटर की ऊँचाई तक फैला यह स्कीइंग क्षेत्र 06 किमी0 लम्बा तथा 1.5 किमी0 चौड़ी है रोपवे से हिमाचल की पर्वत शृंखलाओं का अनुपम नयनाभिराम दृश्य मन को मोह लेता है शीतकाल में यहां 03 मीटर तक बर्फ गिर जाती है। ढ़लानों पर खड़े ओक प्रजाति के पेड़ औली स्कीइंग क्षेत्र के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं। ये वृक्ष हवा की गति को धीमी कर देते हैं। यहीं वजह है कि औली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कीइंग खेल के लिए विशेष सुविधाजनक स्थान माना जाता है। हिमक्रीड़ा के लिए यहां जमर्नी से आयातित स्नोबोर्टर रखे गये हैं, जो बर्फ को पीटकर इस बर्फनी ढालों को स्कीइंग लायक बनाये रखते हैं। यहां 500 मीटर लम्बी स्की लिफ्ट है, जो स्कीयरों को ढ़लान से शिखर तक ले जाती है। यहां प्रतिवर्ष स्कीइंग समारोह होते हैं और अब तक तीन बार राष्ट्रीय इस्कीइंग चैम्पियनशिप हो चुकी है। औली में स्कीइंग व जौशीमठ से गोरसों तक 3.9 किमी0 लम्बे रज्जूमार्ग का प्रबंध गढ़वाल मण्डल विकास निगम के द्वारा किया जाता है। जौशीमठ और औली में पर्यटकों के लिये सामान्य होटल एवं पर्यटन आवास गृहों की सुविधा उपलब्ध है।

## रूपकुण्ड

गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली के विकास खण्ड देवाल में समुद्रतल से लगभग 4,780 मीटर की ऊँचाई पर स्थित यह स्थल अत्यन्त रमणीय है। रूपकुण्ड झील लगभग 500 फी व्यास में फैली है। रूपकुण्ड के चारों ओर बर्फ जमने से इसकी लम्बाई, चौड़ाई, व गहराई घटती-बढ़ती रहती है। अगस्त से सितम्बर माह यहां की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। रूपकुण्ड त्रिशुल पर्वत की कोख में स्थित है। यहां पहुँचने के लिये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग-थराली-देवाल होते हुये लौहजग तक वाहनों द्वारा सड़क मार्ग से यातायात सुलभ है, निकट भविष्य में वांग गांव तक यातायात सुलभ कराने का प्रयास किया जा रहा है जो अंतिम चरण में है। वांग से वैदनी बुग्याल होते हुये रूपकुण्ड लगभग 20 किमी0 पैदल यात्रा कर पहुँचा जा सकता है।

पौराणिक मान्यता है कि नन्दा(उमा) जब कैलाश जा रही थी तो इस कुण्ड में स्नान करने के बाद अपने रूप को झील के पानी में निहारने पर मुग्ध हो गई थी। तब से इसका नाम रूपकुण्ड पड़ा। झील के किनारे मानव अस्थियां मांस सहित आज भी बिखरी पड़ी हैं। जनश्रुति के अनुसार राजजात में गये राजा जसधवल व उसके दरबारियों की अस्थियां हैं। पिछले कुछ वर्षों से पर्यटन विभाग द्वारा रूपकुण्ड महोत्त्व का आयोजन किया जा रहा है।

## नन्दादेवी सेन्युरी

गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली में जोशीमठ—मलारी मार्ग पर लगभग 21 किमी की दूरी पर स्थित नन्दादेवी के सिद्धपीठ मंदिर से नन्दादेवी सेन्युरी के लिए ट्रेकिंग शुरू होती है। पहाड़ों से झरते झरने मीलों तक परसे हिमनद एवं प्रकृति का अनुपम सौन्दर्य मन मोह लेता है। यहां अनेक जड़ी बूटियों का भण्डार है। नन्दादेवी सेन्युरी के पश्चिम में गोमुख तथा पूरब में मिलन हिमनियां हैं। 120 किमी की परिधि में फैले इस भू—भाग में नन्दादेवी, त्रिशुल, दूनागिरी, चंगा—बंगा आदि प्रमुख हिम शिखर हैं। यहां जंगली जानवर बहुतायत में पाये जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा, ग्वालदम, लोहाजंग, तपोवन, नीति—माणा, बसुधारा, चांदपुरगढ़ी बधाणगढ़ी, भेंकलताल, सुपताल, आली बुग्याल, बैदनी बुग्याल, आयजन टाप, लार्ड कर्जन रोड आदि प्रमुख पर्यटन स्थल चमोली जनपद में स्थित हैं।

## मसूरी

मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से भी पुकारा जाता है। गढ़वाल मण्डल में पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मसूरी जनपद देहरादून में देहरादून से लगभग 35 किमी की दूरी पर एक सुन्दर व रमणीक पर्यटन स्थल है। कहां जाता है कि मसूरी की खोज सन् 1827 ई० में कैप्टन यंग नामक साहसी सैनिक अधिकारी के द्वारा की गयी थी। यहां लालबहादूर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी विशेष सामरिक एवं ऐतिहासिक महत्व का संस्थान है।

## कालिन्दीखाल

पहाड़ों का बुनियादी ज्ञान रखने वाले साहसी पर्यटनों के लिये कालिन्दीखाल का ट्रैका का दुर्लभ अनुभव होता है। कालिन्दीखाल के लिये ऋषिकेश से 256 किमी सड़क मार्ग से गंगोत्री से 19 किमी गौमुख से 08 किमी नन्दनवन, तथा नन्दनवन से 24 किमी कालिन्दीपास पैदल पहुँचा जा सकता है। कालिन्दीखाल से 14 किमी आखा ताल, आखा ताल से 18 किमी घस्तोली, घस्तोली से 14 किमी माणा गांव व वहां से 03 किमी पैदल ट्रैक कर यात्री श्री बदरीनाथ धाम पहुँच सकते हैं।

## हर—की—दून

गढ़वाल मण्डल के सुदूर आंचल में चमकती चोटियों और घने—हरे—भरे जंगलों के बीच समुद्रताल से 3,566 मीटर की ऊंचाई पर हर—की—दून एक रमणीक एवं

साहसिक पर्यटन स्थल है। यहां पहुँचने के लिये देहरादून से उत्तरकाशी के ब्लाक मुख्यालय मोरी तथा उसके आगे तालुका नामक स्थान तक सड़क यातायात उपलब्ध है। तालुका से ओसला 14 कि०मी० तथा वहां से हर-की-दून 13 कि०मी० पैदल चल कर पहुँचा जा सकता है।

## डोडीताल

डोडीताल गढ़वाल मण्डल के जनपद उत्तरकाशी के उत्तर में समुद्रतल से 3,024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सुन्दर पर्यटक स्थल है। यह बांच, चीड़, देवदार और बुरांश के घने जंगलों के मध्यम स्थित है। यहां के स्वच्छ पारदर्शी पानी में अनेक दुलभ प्रजाति की मछलियां मिलती हैं, इन मछलियों में हिमालयी गोल्डन टाउन मुख्य आकर्षण का केन्द्र है। यहां पहुँचने के लिये उत्तरकाशी के संगमचट्टी तक सड़क यातायात उपलब्ध है। संगमचट्टी से अरोड़ा से 28 कि०मी० पैदल चल कर डोडीताल पहुँचा जा सकता है। पर्यटकों के लिये मई से अक्टूबर तक का मौसम यहां धूमने के लिये उत्तम है।

### 9—गढ़वाल मण्डल की प्रमुख नदियाः—

गढ़वाल मण्डल में अनेक छोटी-बड़ी नदियां ऊंचे पर्वत शिखरों से निकल कर कल-कल करती हुई अविरल प्रवाहित होती है। गंगा, यमुना, अलकनन्दा, भागीरथी यहां की प्रमुख एवं पवित्र नदियां हैं। इनके अतिरिक्त पिण्डर, कंचनगंगा, दौलीनदी, गरुडगंगा, नन्दाकिनी, नयोर, टौंस आदि इनकी सहायक नदिया हैं।

### 10—गढ़वाल मण्डल में स्थित मुख्य पर्वत चोटियाः—

गढ़वाल मण्डल के दो जनपद चमोली तथा उत्तरकाशी उत्तर की ओर से हिमालय पर्वत से धिरे होने के कारण यहां अनेक ऊँची-ऊँची चोटियां हैं, जिन पर पूरे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। यहां की मुख्य चोटियां निम्न हैं:—

- |                |               |               |                 |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.जोगिन पर्वत  | 2.गंगोत्री    | 3.बेथरतोली    | 4.मेरु पर्वतन   |
| 5.सुमेरु पर्वत | 6.नन्दाधुधंटी | 7.दूनागिरी    | 8.नन्दादेवी     |
| 9.माणा         | 10.त्रिशूल    | 11.कामेट      | 12.चौखंभा       |
| 13.सतोपंथ      | 14.कालका      | 15.हाथी पर्वत | 16.स्वर्गरोहिणी |
| 17.देवस्थान    | 18.नीलकंठ     | 19.मुगथूनी    | 20.नारायण पर्वत |

### 11—सामरिक महत्व की संस्थायेः—

गढ़वाल मण्डल के में सामरिक महत्व के संस्थानों में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून, लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी, भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून, भारतीय प्रोधोगिकी संस्थान रुड़की, राजभवन, विधानसभा भवन देहरादून तथा एशिया का सबसे बड़ा टिहरी बांध प्रमुख है।

## 12—औषधीय जड़ी बूटियां:-

गढ़वाल मण्डल के ऊंचाई वाले स्थानों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां पायी जाती हैं, जिनका उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। जड़ी बूटियों के शोध एवं विकास के लिये जनपद चमोली के मण्डल नामक स्थान पर उत्तराखण्ड की जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान स्थापित किया गया है, जो जड़ी बूटियों के शोध एवं कृषिकरण पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

## आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4, उपधारा-(B) के अन्तर्गत आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी से सम्बन्धित सूचनायें:-

### मैनुअल संख्या-1

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्यः-

---

राजस्व विभाग का संगठन प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष राजस्व परिषद्/मण्डल स्तर पर आयुक्त एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित होता है। राजस्व विभाग के कार्य/दायित्व अत्यन्त विस्तृत एवं बहुआयामी है। आयुक्त द्वारा राजस्व सम्बन्धी दायित्वों के अतिरिक्त मण्डल/जिले में कार्यरत विभिन्न विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों के कार्यों पर भी प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से पर्यावेक्षण एवं नियन्त्रण रखा जाता है।

संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार हैः-

अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून ।



आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।




जिलाधिकारी, गढ़वाल मण्डल ।



---

गढ़वाल    देहरादून    हरिद्वार    टिहरी गढ़वाल    चमोली    उत्तरकाशी    रुद्रप्रयाग



**भू-राजस्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अधिकारियों की तैनाती तथा उनके दायित्वों का निर्धारण:-**

- (1) धारा-5 के अन्तर्गत अध्यक्ष, राजस्व परिषद् मुख्य नियंत्रक अधिकारी होते हैं, जो राज्य सरकार के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करते हैं परन्तु वादों/अपीलों/सन्दर्भों/पुनरीक्षणों पर स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेते हैं।

- (2) धारा-11 के अन्तर्गत मण्डलों जिलों तहसीलों तथा उप मण्डलों का सृजन किया जाता है।
- (3) धारा-12 के अन्तर्गत आयुक्त की तैनाती तथा आयुक्त की शक्तियाँ एवं कर्तव्यों का निर्धारण/अनुपालन।

पदनाम	कर्तव्य
आयुक्त	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. भू-राजस्व अधिनियम।</li> <li>2. उ0प्र0ज0वि एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।</li> <li>3. उ0प्र0अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम।</li> <li>4. यू0पी0टैनेंसी एक्ट</li> <li>5. स्टाम्प एक्ट</li> <li>6. गुण्डा एक्ट</li> <li>7. आम्स एक्ट</li> <li>8. आर्वेशन एक्ट</li> <li>9. वन पंचायत नियमावली</li> <li>10. फूडग्रेन एक्ट</li> <li>11. जिला विकास प्राधिकरण अधिनियम</li> <li>12. जिला पंचायत एक्ट</li> </ol>

13. नगरपालिका एवं नगर पंचायत अधिनियम

14. नजूल नियमावली

15. पंचायतराज एकट

16. कूजा एकट

17. रेवेन्यू मैनुअल

18. मनोरंजन कर अधिनियम

19. निरीक्षणालय मैनुअल

20. विनियमित क्षेत्र अधिनियम

21. कर्मचारियों की विभिन्न सेवा नियमावलियाँ

## मैनुअल संख्या-2

कार्यालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

### 1. आयुक्त के कार्य एवं अधिकारः—

- जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयादेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई व निर्णय देने का कार्य करना। इसके अतिरिक्त आम्स ऐक्ट, गुण्डा ऐक्ट तथा वन पंचायतों से संबंधित अपीलों की सुनवाई का कार्य भी करते हैं।
- लोकल ऐक्ट्स के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई एवं निर्णयादेश पारित करना।
- मण्डल में शांति एवं व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने हेतु पुलिस प्रशासन एवं राजस्व प्रशासन में समन्वय बनाये रखना, उनका मार्गदर्शन करना एवं पुलिस अधिकारियों व जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करना। समय समय पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना तथा राज्य सरकार को वस्तु स्थिति से अवगत रखना।
- मण्डल स्तर पर राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा करना तथा राजस्व की बकाया वसूली में उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण करना तथा वसूली कार्य हेतु जिला कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करना।
- दैवीय आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कराना, बचाव एवं राहत कार्यों में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करना तथा शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराना।
- राजस्व प्रशासन को गतिशील तथा दुरुस्त बनाये रखने के लिए राजस्व नियम संग्रह के भाग-6 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों तथा तहसील कार्यालयों के काम काज का निरीक्षण करना तथा निरीक्षणों के समय देखी गया त्रुटियों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश निर्गत करना।
- मण्डल के प्रत्येक राजस्व ग्राम में वन पंचायतों का गठन करनास तथा वन पंचायतों के कार्यों के सुचारू सम्पादन के लिए पंचायत निरीक्षकों तथा उनसे सम्बद्ध स्टाफ की नियुक्ति करना।
- मण्डल में राजस्व प्रशासन के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, सुपरवाइजर कानूनगों के पदों पर अस्थाई समय कालिका नियुक्तियां करना।
- जिला कार्यालयों, तहसील कार्यालयों तथा मण्डलायुक्त कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति करना।

- राजस्व विभाग के जिला कार्यालयों, तहसील कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों की अपीलें सुनना और निर्णय देना।
- सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौड़ी तथा देहरादून के अध्यक्ष के कार्यों का सम्पादन तथा दायित्वों का निर्वहन करना। इसके अन्तर्गत मण्डल में परिवहन व्यवस्था के सुचारू रूप में संचालन हेतु वाहनों के परमिट स्वीकृत करना, मोटर यान अधिनियम के प्राविधानों का उलंघन करने वाले परमिट धारकों, वाहन चालकों के परमिट/लाईसेंस निलंबित एवं निरस्त करना। नियमित एवं सुचारू परिवहन व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारियों एवं अन्य पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को समुचित निर्देश निर्गत करना।
- विनियमित क्षेत्र पौड़ी/श्रीनगर के नियंत्रक प्राधिकारी के कार्यों का सम्पादन तथा दायित्वों का निर्वहन करना। इसके अन्तर्गत कन्ट्रोलिंग अथोरिटी की बैठक बुलाना तथा नियम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई कर निर्णय निर्गत करना। भवन निर्माण के अनुज्ञा पत्रों आदि के शुल्क की दरों का निर्धारण करना।
- हरिद्वार विकास प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा इस पद के कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां तथा अवैध निर्माण कार्यों का विध्वंसन स्वीकृत करना। प्राधिकरण के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं की स्वीकृति के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को भेजना, शासन से स्वीकृत परियोजनाओं का निर्माण एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करना। प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों का अनुमोदन करना। विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना, स्वीकृत योजनाओं का निरीक्षण, अनुश्रवण तथा कार्यान्वयन करना।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक प्राधिकारों, कार्यालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के दायित्वों का निर्वहन करना।
- मण्डल के विभिन्न जनपदों में चलाये जा रहे विभिन्न विकास कार्यकर्मों की जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करना एवं विकास विभाग से सम्बद्ध अधिकारियों को समय—समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
- मण्डल के अन्तर्गत संचालित सभी प्रकार की प्रशासनिक व विकास की गतिविधियों पर नजर रखना और इनके सुचारू संचालन के लिए जनपदों तथा राज्य सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करना।
- स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायत के कर्मचारियों की अपीलों को सुनना और निर्णय देना।
- जिला कार्यालय में कार्यरत संग्रह अधिष्ठान कर्मचारियों की अपीलों को सुनना और निर्णय देना।

## **2. अपर आयुक्त के कार्य एवं अधिकारः—**

- जमींदारी विनाश एवं भू—राजस्व अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा पारित निर्णयादेशों के विरुद्ध ऐसे मामलों की अपीलें सुनना जो आयुक्त द्वारा सुनवाई हेतु अपर आयुक्त को आवंटित की जाये।
- मण्डलायुक्त द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अन्य वित्तीय/न्यायिक/प्रशासनिक कार्यों का निस्तारण करना।
- शासन तथा राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून को भेजे जाने वाले प्रस्तावों/महत्वपूर्ण प्रकरणों का परीक्षण करना तथा उन पर मण्डलायुक्त को आख्या/परामर्श देना।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी, के विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करना।
- मण्डल के अन्तर्गत राजस्व विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों (अपील एवं प्रत्यावेदन) को छोड़कर अन्तिम निर्णय लिया जाना।
- आयुक्त कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों का उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं निजी कार्य अवकाश की स्वीकृति
- आयुक्त कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि अग्रिम स्वीकृति प्रदान करना।
- एक बार में मु0 15,000.00(पन्द्रह हजार) तक की धनराशि के मामलों में व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
- राजस्व विभाग के अनावासीय एवं आवासीय भवनों के मु0 50,000.00(पचास हजार) तक के आगणनों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
- आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन स्वीकृति प्रदान करना।

- आयुक्त कार्यालय स्टाफ क्वार्टरों तथा जलागम की समाप्ति से प्राप्त आवासीय भवनों के आवंटन की स्वीकृति प्रदान करना।
- जिला पंचायतों की विभिन्न व्ययों की स्वीकृति प्रदान करना।
- उप जिलाधिकारी एवं तहसील कार्यालयों/न्यायलयों, थाना, विकास खण्ड एवं नगर पालिका/नगर पंचायतों का निरीक्षण करना।
- शासन द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण/भूमि क्रय/भवन मरम्मत अग्रिम की धनराशि का तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके आवेदन के अनुसार आवंटन की स्वीकृति प्रदान करना।
- नगर पालिका के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को पेंशन एवं उपादान के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।
- पटवारी तथा लेखपालों के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण की स्वीकृति प्रदान करना।
- जिलाधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार होमगार्डों की स्वीकृति प्रदान करना।
- स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की अपीलों का निस्तारण करना।
- जिला पंचायत के कर्मचारियों की अपीलों का निस्तारण करना।
- जिला कार्यालय में कार्यरत संग्रह अधिष्ठान कर्मचारियों की अपीलों का निस्तारण करना।

### **3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य एवं अधिकारः—**

- आयुक्त कार्यालय के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्यों पर वार्षिक प्रविष्टि हेतु प्रतिवेदक आख्या देना।
- शासन/राजस्व परिषद् से प्राप्त संदर्भों का निस्तारण/अनुश्रवण कराना।
- आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- विभिन्न अनुभागों की पत्रावलियों का उच्चाधिकारियों को अग्रसारण।

- आयुक्त कार्यालय के विभिन्न कक्षों/पटलों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।
- आयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा निर्देशित कार्यों का सम्पादन करना।
- कर्मचारियों की उपस्थिति प्रतिदिन समय पर सुनिश्चित करना।
- माऊच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा अधिकरण के लम्बित रिट याचिकाओं/जनहित याचिकाओं में पटल सहायकों से कार्यवाही करवाना।
- हिन्दी अभिलेखागार का प्रभारी अधिकारी।

**4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के कार्यः**

- सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य।
- आयुक्त कार्यालय की समस्त डाक का निस्तारण एवं आवश्यकतानुसार उनका उच्चाधिकारियों को प्रस्तुतीकरण।
- स्टाक बुक में अंकित सामग्रीयों का सत्यापन।
- आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- कार्यालय के समस्त पटल सहायकों की पत्रावलियों का उच्चाधिकारियों को अग्रसारण।
- आम जनता की शिकायतों के निस्तारण कार्य का पर्यवेक्षण/प्रस्तुतीकरण।
- पटल सहायकों के परेषण कार्य का पर्यवेक्षण/निस्तारण।
- आयुक्त कार्यालय के विभिन्न कक्षों/पटलों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।
- माऊच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा अधिकरण में लम्बित रिट याचिकाओं/ जनहित याचिकाओं में पटल सहायकों से कार्यवाही करवाना।

- भण्डार पंजिका का निरीक्षण का कार्य।
- स्टाक पंजिका में अंकित सामाग्रियों का सत्यापन।

**5. प्रशासनिक अधिकारी के कार्यः—**

- न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल देहरादून/पौड़ी के पेशकार का कार्य।
- सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी का कार्य।
- न्यायिक कार्य।
- कार्यालय में प्राप्त होने वाली डाकों पर पुष्टांकन आदेश अंकित करने का कार्य।
- कार्यालय के समस्त पटल सहायकों द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों पर आख्याओं का परीक्षण कर अपनी टिप्पणी सहित उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- कार्यालय में पत्रावलियों का संचयन एवं विनिष्टिकरण का कार्य।
- आयुक्त कार्यालय पौड़ी से आयुक्त कैम्प कार्यालय देहरादून में डाक भिजवाने का कार्य।
- आकस्मिक अवकाश एवं उपस्थिति पंजिका का रखरखाव का कार्य।
- प्रेषण पंजिका का प्रतिदिन निरीक्षण करने का कार्य।

**6. मुख्य वैयक्तिक अधिकारी के कार्यः—**

- अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों से संबंधित कार्य।
- आयुक्त महोदय द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन।
- गोपनीय अभिलेखों को सुरक्षित रखना।

- आयुक्त की अभिरक्षा में रखे जाने वाले अभिलेखों का रखरखाव।
  
- मण्डल के जिलाधिकारियों/अपर जलाधिकारियों/परगनाधिकारियों/तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा अन्य मण्डलीय अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों से संबंधित कार्य।
  
- आयुक्त महोदय का भ्रमण कार्यक्रम/इंगेजमैन्ट सम्बन्धी कार्य।
- सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण से संबंधित कार्य।
  
- विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अभ्यागतों के भ्रमण आदि की व्यवस्था से संबंधित कार्य।
- जिलाधिकारियों/अपरआयुक्त/अपरजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों/नायब तहसीलदार/विकास खण्ड/विकास कार्यों आदि की रोस्टर के अनुसार निरीक्षण टिप्पणियों संबंधी कार्य।
- आयुक्त महोदय के नाम से प्राप्त होने वाली डाक/संदर्भों पर मार्किंग तथा निर्देशानुसार कार्य।

**पंजिकांगेः—**

- ए०सी०आर० से सम्बन्धी पंजिका।
- आयुक्त की अभिरक्षा में रखे जाने वाले अभिलेखों की पंजिका।
- पत्रावलियों से सम्बन्धित पंजिका।
- निरीक्षण पंजिका।
- स्थानान्तरण अधिकारियों द्वारा छोड़े गये
- जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी पंजिका।

**7. शिविर सहायक के कार्यः—**

- कैम्प कार्यालय के इण्डैक्स एवं डिस्पैच कार्य।
- आशुलेखन एवं टंकण कार्य।
- आयुक्त महोदय के मौखिक एवं लिखित आदेशों का अनुपालन।

**8. अपर आयुक्त आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक के कार्यः—**

- अपर आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- अपर आयुक्त महोदय की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखे जाने वाली अभिलेखों का रखरखाव करना।
- अपर आयुक्त महोदय का भ्रमण कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य।
- विभिन्न गोपनीय जांच प्रकरणों से सम्बन्धित कार्य/पत्रावलियों का रखरखाव।
- आशुलेखन एवं टंकण कार्य।

**9. राजस्व सहायक के कार्यः—**

- आरक्षण रोस्टर की पंजिका आयुक्त कार्यालय।
- आरक्षण रोस्टर की पंजिका जिला कार्यालय।
- तहसीलदार/नायब तहसीलदार की स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य।
- उच्चाधिकारियों द्वारा कृत निरीक्षण टिप्पणीयों की अनुपालन आख्या।
- राजस्व प्रशासनिक आख्या तैयार करना।
- प्रशासनिक सेवा की सभी राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती, स्थानान्तरण आदेशों का रखरखाव।
- नई तसहीलों का सृजन एवं पुर्नगठन सम्बन्धी कार्य की आख्या भेजना।
- शासन/मुख्य राजस्व आयुक्त/मुख्यमंत्री को सूचनाओं का प्रेषण।
- जिला कार्यालय के कर्मचारियों के अपील/प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धी कार्य।
- कार्यालय कर्मचारियों की ज्येष्ठता की सूची का रखरखाव।
- एम०डी०ओ० से सम्बन्धी कार्य।
- आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों के स्थाईकरण से सम्बन्धी कार्य।

**10. स्थानीय निकाय सहायक के कार्यः—**

- स्थानीय निकायों के अकेन्द्रीयित कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण/उपादान/राशिकरण स्वीकृति का कार्य
- नगर पालिका परिषदों के बजट स्वीकृति का कार्य।
- नगर पालिका कर्मचारियों के अपील/प्रत्यावेदन निस्तारण का कार्य।
- नजूल भूमि से सम्बन्धी कार्य।
- जिला पंचायतों के बजट स्वीकृति सम्बन्धी एवं अन्य प्रशासनिक कार्य।
- जिला नगरीय विकास अभिकरण से सम्बन्धी योजनाओं का कार्य।

- जल संरक्षण के कर्मचारियों के पेंशन/उपादान/राशिकरण स्वीकृति से सम्बन्धी कार्य।
- नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों की वसूली की समीक्षा का कार्य।

**11. विविध सहायक के कार्यः—**

- समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- निर्वाचन विभाग सम्बन्धी कार्य।
- सूचना सम्बन्धी कार्य।
- पुलिस विभाग एवं कनून व्यवस्था से सम्बन्धी कार्य।
- होमगार्ड्स की प्रतिस्थापना की स्वीकृति का कार्य।
- औद्योगिक आस्थान/राजकीय आस्थान से सम्बन्धी कार्य।
- श्रमिकों से सम्बन्धी कार्य।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं धर्मार्थ से सम्बन्धी कार्य।
- वन विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- राजस्व पुलिस क्षेत्रों में घटित अपराधों की मासिक सूचना का प्रेषण का कार्य।
- सेवा का अधिकार से सम्बन्धी कार्य।
- सहकारिता से सम्बन्धी कार्य।
- कृषि एवं फल उद्यान विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- पशुपालन विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- विद्युत विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- सिंचाई विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- जिला योजनाओं से सम्बन्धी कार्य।
- आबकारी विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- शिक्षा विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- परिवहन एवं पर्यटन विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- राजस्व भवनों से सम्बन्धी कार्य।
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- भूमि अध्यापित विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- सेवायोजन विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धी कार्य।

- गृह कारागार से सम्बन्धी कार्य।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- उद्योग विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- अर्थ एवं संख्या विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- सामान्य प्रशासन से सम्बन्धी कार्य।
- पुर्नवास विभाग से सम्बन्धी कार्य।
- नियुक्ति से सम्बन्धी कार्य।
- आवास से सम्बन्धी कार्य।
- अभ्यर्थना से सम्बन्धी कार्य।
- नियोजन एवं विकास विभाग से सम्बन्धी कार्य।

## **12. वित्त सहायक के कार्यः—**

- आयुक्त कार्यालय के वेतन सम्बन्धी बिलों का कार्य।
- आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं का रखरखाव।
- बजट सम्बन्धी कार्य।
- आयुक्त कार्यालय के पेंशन प्रकरण से सम्बन्धी कार्य।
- आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश लेखा सम्बन्धी कार्य।
- आयुक्त कार्यालय की व्यक्तिगत पत्रावलियों का रखरखाव।
- आयुक्त कार्यालय के जी०पी०एफ० पासबुक / लैजर / ब्राड सीट सम्बन्धी कार्य।
- आयुक्त कार्यालय अधिष्ठान के यात्रा भत्ता देयकों से सम्बन्धी कार्य।
- भवन निर्माण अग्रिम से सम्बन्धी कार्य।

## **पंजिकाएः—**

- सेवा पुस्तिकाएं।
- 11 सी रजिस्टर।
- जी०पी०एफ० पासबुक।
- लैजर।
- टी०ए० रजिस्टर।
- वेतन पंजी आयुक्त कार्यालय।

➤ भवन निर्माण अग्रिम पंजी।

➤ पेंशन प्रकरणों की पंजी।

#### 13. नाजर के कार्यः—

➤ कार्यालय कैशियर/नाजिर का कार्य।

➤ आयुक्त कार्यालय की कैन्टीजैन्सी का कार्य।

➤ लेखन सामग्री वितरण का कार्य।

➤ राजस्व भवनों से सम्बन्धी कार्य।

पंजिकाएँ:-

➤ कैन्टीजैन्सी रजिस्टर।

➤ कैश बुक।

➤ ड्राफ्ट रजिस्टर।

➤ बाऊचर पंजि।

➤ स्टाक बुक।

➤ राजस्व भवनों की पंजि।

#### 14. इण्डैक्सर के कार्यः—

➤ पत्र/संदर्भों को प्राप्त करना।

➤ इण्डैक्स रजिस्टर में पत्रों को इन्द्राज करना।

➤ वाहय प्रेषित पत्रों को जारी करना।

➤ प्राप्त लम्बित प्रकरणों का रख—रखाव।

➤ जारी लम्बित पत्रों की सूची तैयार करना एवं रख—रखाव।

पंजिकाएँ:-

➤ पंजीयन पंजी।

➤ पत्रावलियों के इन्द्राज की पंजी(दो खण्डों में)।

➤ लम्बमान संदर्भों की पंजी(दो खण्डों में)।

➤ दैनिक डाक प्राप्त रजिस्टर।

#### 15. हिन्दी अभिलेखपाल का कार्यः—

- पत्रावलियों का निरीक्षण कराना व नकल जारी कराना।
- निर्दान कार्य।
- न्यायालय से सम्बन्धी पत्रावलियों का रखरखाव।
- निर्णित पत्रावलियों को दैनिकी में दर्ज करना।
- अध्याचित पत्रावलियों का परेषण।

**पंजिकाएँ:-**

- रजिस्टरो का रजिस्टर।
- दैनिकी पंजी।
- अध्याचन पंजी।
- नकल जारी करने की पंजी।
- निर्दान कार्य की पंजी।
- स्थानीय अधियाचन पंजी।
- गोश्वारा।
- नकल प्रार्थना पत्र पंजी।
- निरीक्षण पंजी।
- डाक पंजी(स्थानीय व वाह्य)।
- प्रश्नतोत्तरी पंजिका।
- बदर पंजिका।

**16. आंग्ल अभिलेखपाल का कार्य:-**

- विडिंग का कार्य।
- कार्यालय की पत्रावलियों व अभिलेखों का रखरखाव।

**पंजिकाएँ:-**

- रजिस्टरों का रजिस्टर।
- निर्दान कार्य पंजी।
- विभागीय पत्रावलियों की संचयन सूची का रजिस्टर।
- स्थाई पत्रावलियों की पंजी।

- दैनिक कार्य विवरण पंजी।
- दाखिल की गई पत्रावलियों की पंजी।
- परेषण पंजी।

**17. अहलमद, आयुक्त न्यायालय का कार्यः—**

- न्यायालय से संबंधित कार्यों को टंकित करना।
- निर्णित पत्रावलियों का परेषण कार्य व उन्हें हिन्दी अभिलेखागार को प्रेषित करना।
- नकल जारी करना।
- दायर वादों को दर्ज रजिस्टर करना।
- समन जारी करना।
- अवर न्यायालय की पत्रावली मंगाना तथा निर्णय उपरान्त उन्हें वापस करना।

**पंजिकाएँ:—**

- अपील रजिस्टर (7 खण्डों में)।
- केस डायरी।
- नकल रजिस्टर।
- अवर न्यायालय से प्राप्त पत्रावलियों का रजिस्टर।

**18. अहलमद, अपर आयुक्त न्यायालय का कार्यः—**

- अपर आयुक्त न्यायालय में वादों का प्रस्तुतीकरण।
- दायर अथवा स्थानान्तरित वादों का पंजीकरण।
- नकल जारी करना।
- न्यायालय से संबंधित पत्रावलियों का रखरखाव का कार्य।
- निर्णित पत्रावलियों का परेषण कार्य व उन्हें हिन्दी अभिलेखागार को प्रेषित करना।
- अवर न्यायालय की पत्रावली मंगाना तथा निर्णय उपरान्त उन्हें वापस करना।
- समन जारी करना।
- न्यायालय से संबंधित कार्यों को टंकित करना।

**पंजिकाएँ:—**

- अपील रजिस्टर (7 खण्डों में)।
- केस डायरी।
- नकल रजिस्टर।
- अवर न्यायालय से प्राप्त पत्रावलियों का रजिस्टर।

**19. डिस्पैचर का कार्यः—**

- वाह्य प्रेषित पत्रों को यथाविधि प्रेषित कराना।

**पंजिकाएँ:-**

- डिस्पैच रजिस्टर।
- डाक टिकटों का रजिस्टर।
- स्थानीय डाक रजिस्टर।
- मूलरूप में प्रेषित किये जाने वाले पत्रों का रजिस्टर। (एस0एम0न0 पंजिका)।

**मैनुअल संख्या—3**

**निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तराधिकारी के स्तर सहित)**

- मण्डल स्तर पर प्राप्त विभिन्न प्रकरणों में अध्याय—1 व 2 में उल्लिखित नियमों में निहित प्रक्रिया तथा पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से अन्तिम निर्णय मण्डलायुक्त द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर जन सामान्य की जानकारी के लिए निम्नानुसार कतिपय दृष्टान्त दिये जा रहे हैं।

1. मण्डलायुक्त/अपर आयुक्त मण्डलायुक्त के स्तर पर सामान्यतया जमीन के मामलों में अधीनस्थ पीठासीन अधिकारियों( जिलाधिकारी /अपर जिलाधिकारी /उप जिलाधिकारी (असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी)) के आदेशों के विरुद्ध भू—राजस्व अधिनियम,भूलेख नियमावली व उ.प्र. जमीदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपील/निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है,जिस पर उभय पक्षों को नोटिस तामील होने तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब करने के पश्चात मण्डलायुक्त/अपर मण्डलायुक्त द्वारा स्वतन्त्र रूप से निर्णय लिया जाता है।

2. आमर्स एकट एवं गुण्डा एकट की संगत धाराओं के अंतर्गत भी जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध मण्डलायुक्त स्तर पर अपील का प्राविधान है। इन अपीलों में भी उक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए मण्डलायुक्त स्तर से सम्यक विचार कर स्वतन्त्र रूप से निर्णय लिया जाता है।

3. स्टाम्प एकट के अंतर्गत रु. 50,000/- तक के मामलों में अपर आयुक्त तथा 5.00 लाख रु0 तक के मामलों में उक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अधीन मण्डलायुक्त द्वारा निर्णय लिया जाता है।

4. जिला विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत के भवनों के विवादित मामलों में भी सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून, सचिव, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार एवं सचिव, देन घाटी विशेष, प्राधिकारण, देहरादून के आदेश के विरुद्ध मण्डलायुक्त स्तर पर अपील का प्राविधान है।

5. खनन से संबंधित अपीलों में भी मण्डलायुक्त स्तर से निर्णय लिया जाता है।

#### मैनुअल संख्या—4

##### कृत्यों के लिए स्थापित मानक/नियम

- मण्डल स्तर पर विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी के लिए प्रतिमान (Norms) निर्धारित नहीं हैं। सभी विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों से अपेक्षित है कि वे अपने पदेन दायित्व एवं सौंपे गये सभी कार्यों को पूर्ण करें।
- मण्डल स्तर पर प्रतिलिपिकार द्वारा निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क सहित मांग पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक दशा में 24 घण्टे के अन्दर तथा साधारण दशा में 7 दिन के अन्तर्गत प्रतिलिपि निर्गत करनी होती है।
- शासन/अध्यक्ष, राजस्व परिषद् के समय सीमा निर्धारित पत्रों पर समयान्तर्गत उत्तरालेख भेजना होता है।
- विधान सभा प्रश्नों का समय सीमा के अन्दर उत्तर भेजना होता है।

- रिट याचिकाओं में निर्धारित तिथि पर शपथ—पत्र दाखिल करना होता है। भू—अर्जन के मामलों में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की स्वीकृति।
- सूचना का अधिकार व अधिनियम—2005 के अंतर्गत समय से इच्छित सूचना प्रदान करना तथा प्रतिमाह की 10 तारीख तक मा0 राजस्व परिषद,उत्तराखण्ड को मण्डल की संकलित सूचना भेजना।
- सेवा का अधिकार अधिनियम—2011 के अंतर्गत प्रतिमाह की 10 तारीख तक शासन को मण्डल की संकलित सूचना भेजना।

## मैनुअल संख्या—5

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मिकों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

कार्य की प्रकृति	सम्बन्धित नियम
1. वित्तीय मामले	1. वित्तीय हस्तपुस्तिका 2. ट्रेजरी मैनुअल 3. आय—व्ययक मैनुअल
2. सेवा सम्बन्धी मामले	1. वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग—2 के पार्ट 2—4 के मूल नियम एवं सहायक नियम 2. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 3. सरकारी कर्मचारी आचरण संहिता

	<p>4. कन्ट्रोल क्लासिफिकेशन एण्ड अपील रूल्स</p> <p>5. विभिन्न सेवा संवर्ग के सेवा नियमावलियां 6. पेंशन नियम</p> <p>7. सामान्य भविष्य निर्वहन निधि नियमावली 8. मैनुअल ऑफ गर्वन्मेंट आर्डर</p>
3. भूलेख से संबंधित कार्य	<p>1. भू—राजस्व अधिनियम, भू—लेख नियमावली</p> <p>2. उ.प्र.जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम एवं नियमावली</p> <p>3. सर्वे मैनुअल</p>

4. चकबन्दी से सम्बन्धित कार्य	1. उ.प्र. जोत चकबन्दी अधिनियम 1953
5. भूराजस्व एवं शासकीय /अन्य देयों की वसूली	<p>1. भू—राजस्व अधिनियम</p> <p>2. उ.प्र. कलेक्शन मैनुवल</p> <p>3. उ.प्र. जमीदारी, भूमि व्यवस्था अधिनियम एवं नियमावली</p> <p>4. लोकधन वसूली अधिनियम</p>
6. कार्यालय प्रक्रिया एवं सामान्य पत्राचार	<p>1. शासनादेशों का संग्रह</p> <p>2. रैवेन्यू मैनुअल</p>

7. स्टाम्प एवं शुल्क से सम्बन्धित मामले	1. स्टाम्प एकट एवं मैनुवल
8. भूमि अध्याप्ति कार्य	1. भूमि अध्याप्ति अधिनियम एवं मैनुअल
9. आपदा एवं राहत कार्य	1. बाढ़ एवं दैवी आपदा नियम
10. कानून व्यवस्था सम्बन्धी मामले	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. दण्ड प्रक्रिया संहिता</li> <li>2. विभिन्न शासकीय आदेश एवं अन्य विधियां</li> <li>3. आन्तरिक सुरक्षा अधिरियम</li> <li>4. गैंगस्टर एकट</li> <li>5. गुण्डा अधिनियम</li> <li>6. पुलिस रेगुलेशन एकट</li> </ol>

11. न्यायिक कार्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. रैवन्यू कोर्ट मैनुअल</li> <li>2. सी.आर.पी.सी.</li> <li>3. क्रिमिनल कोर्ट मैनुअल</li> <li>4. हैण्ड बुक फार क्रिमिनल रेवन्यू एण्ड कोर्टस</li> <li>5. व्यवहार प्रक्रिया संहिता</li> <li>6. साक्ष्य अधिनियम</li> <li>7. कोर्ट फी एकट</li> </ol>
-------------------	---

	<p>8. लिमिटेशन एक्ट</p> <p>9. गुण्डा एक्ट</p> <p>10. आर्म्स एक्ट</p> <p>11. अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम</p> <p>12. रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड इवीक्शन एक्ट</p> <p>13. मोटर वाहन एक्ट</p> <p>14. आर.बी.ओ.एक्ट</p> <p>15. कूजा एक्ट</p> <p>16. गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट</p>
12. शस्त्र एवं अनुज्ञापियों एवं विस्फोटक से सम्बन्धित कार्य	<p>1. आर्म्स एक्ट एवं नियमावली</p> <p>2. विस्फोटक अधिनियम</p>
13. खनिजों से सम्बन्धित कार्य	<p>1. भारतीय खान एवं खनिज विकास अधिनियम</p> <p>2. मिनरल कनसेशन रूल्स</p> <p>3. माईनर मिरनल्स कनसेशन रूल्स</p>

14. स्थानीय निकाय से सम्बन्धित कार्य	<p>1. स्थूनिसिपल एक्ट एवं नियमावली</p> <p>2. नजूल एक्ट</p>
15. वन पंचायत	<p>1. वन पंचायत नियमावली</p>

16.धार्मिक कार्य	1. यू.पी. रिलिजियस एन्डोमेन्ट ए
------------------	---------------------------------

## मैनुअल संख्या-6

दस्तावेज जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन, प्रवर्गों का विवरण:-

कार्यालय पत्रावलियों/अभिलेखों का रख—रखाव तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के द्वारा सम्पादित किया जाता है, जो अपने उच्चाधिकारी के नियंत्रण एवं

परिवेक्षण में अभिलेखों को रखते हैं तथा अपेक्षित कार्यवाही करते हैं। पत्रावलियों पर कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् संबंधित कर्मचारियों द्वारा अभिलेखागार में उनकी उपयोगिता के अनुसार शासन के दिशा—निर्देशों के क्रम में विभिन्न अवधियों के लिए संचित किए जाते हैं। इन अभिलेखों की निम्न श्रेणियाँ हैं:

1. विभिन्न प्रकरणों एवं विषयों की पत्रावलियाँ।
2. पंजिकाएं।

- संबंधित पत्रावलियाँ अभिलेखागारों में निम्न प्रकार संचित की जाती हैः—
1. कार्यालय के विभिन्न अनुभागों/सहायकों की पत्रावलियाँ व पंजिकाएं आंगल अभिलेखागार में।
- राजस्व वादों से संबंधित पत्रावलियाँ व पंजिकाएं हिन्दी अभिलेखागार में।  
राजस्व नियम संग्रह के अन्तर्गत निहित प्रक्रिया के अनुसार आयुक्त कार्यालय में सभी पटल सहायकों द्वारा विभागवार पत्रावलियाँ व्यवस्थित की जाती हैं।

**आयुक्त कार्यालय के सहायकों को उनके नामों के सम्मुख अंकित विभागों का कार्य आवंटन  
किया गया है:-**

<b>क्रं सं०</b>	<b>नाम / पदनाम</b>	<b>मोबाइल नम्बर</b>	<b>कार्य विभाजन हेतु आवंटित कार्य</b>
1.	श्री नेत्र सिंह मुख्य मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	9837792639	<p>1—सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के पदेन कार्य।</p> <p>2—कार्यालय सहायकों/प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की टीपों का परीक्षण कर अपना अभिमत/टिप्पणी सहित अपर आयुक्त(प्रशा०) /आयुक्त को अग्रसारित किया जायेगा।</p> <p>3—आयुक्त/अपर आयुक्त(प्रशा०) द्वारा कार्यालय नोटशीट पर अंकित आदेशों/पत्रों को अपने हस्ताक्षर से निर्गत किया जाना।</p> <p>4—विभिन्न सूचनायें मंगाये जाने तथा कार्यालय पत्रावलियों में जनपदों से सूचना मंगाये जाने हेतु अपने हस्ताक्षरों से पत्र निर्गत करना।</p> <p>5—कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन करना।</p> <p>6—आयुक्त एवं अपर आयुक्त(प्रशा०) को कार्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करना।</p> <p>7—हिन्दी अभिलेखागार का प्रभारी अधिकारी।</p> <p>8—अन्य कार्य जो आयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा समय—समय पर सौंपे जायेंगे।</p>
2	श्री राकेश रावत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	7983098319	<p>1—पेशकार अपर आयुक्त शिविर न्यायालय देहरादून</p> <p>2—सहायक लोक सूचना अधिकारी/लिंक अधिकारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी</p>
3.	श्री धर्मसिंह रावत, प्रशासनिक अधिकारी	9411738240	<p>1—पेशकार, न्यायालय अपर आयुक्त, पौड़ी।</p> <p>2—कार्यालय में प्राप्त होने वाली डाकों/पत्रों पर पृष्ठांकन आदेश अंकित कर आयुक्त/अपर आयुक्त के आदेशार्थ प्रस्तुत करना।</p> <p>3—कार्यालय सहायकों द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों पर आख्याओं का परीक्षण कर अपनी टिप्पणी सहित अपने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना।</p> <p>4—कार्यालय में पत्रावलियों का संचयन एवं विनिष्टीकरण का कार्य अपनी देख-रेख में करना।</p>

			5—आयुक्त कार्यालय, पौड़ी से कैम्प कार्यालय देहरादून डाक भेजने का कार्य। 6—अन्य कार्य जो उच्च अधिकारियों द्वारा समय—समय पर सौंपे जायेंगे।
4.	श्री विजय कुमार नैथानी, प्रधान सहायक (प्रथम)	9568980338	1—नाजिर 2—अहलमद, न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कैम्प देहरादून। 3—विभाग 2 (राजस्व न्यायालय से सम्बन्धित पत्र व्यवहार एवं रिट याचिकाओं का कार्य)
5.	श्री धीरज सिंह कण्डारी, प्रधान सहायक(द्वितीय)	9411742722	1—विभाग 21 स्थानीय निकाय 2—विभाग—23 जिला पंचायत 3—विभाग 28 आवास 4—विभाग 33 नियोजन एवं विकास 5—विभाग—35 सहकारिता 6—विभाग 37 सेवायोजन 7—विभाग 38 कृषि 8—विभाग—39 पशुपालन
6.	श्री वृजभूषण सिंह यादव, प्रधान सहायक (तृतीय)	9412954734	1—अहलमद न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी। 2—विभाग—7भूलेख / पटवारी / लेखपाल / कानूनगो। 3—विभाग—8 विशेष भूमि अध्यापिता 4—विभाग—13 राजस्व एवं अभाव 5—विभाग—17 चिकित्सा 6—विभाग—18 गृह सामान्य 7—27 शिक्षा 8—विभाग 29 न्याय एवं विधान 9—विभाग 34 पर्यटन एवं परिवहन
7.	श्री दिगम्बर बहुगुणा, वरिष्ठ सहायक, प्रथम	9760298690	सम्बद्ध—
8.	श्री मुकेश ढौड़ियाल, वरिष्ठ सहायका, द्वितीय	9411506194	पेशकार, न्यायालय आयुक्त कैम्प देहरादून एवं पौड़ी।
9.	श्री लक्ष्मण सिंह नेगी, वरिष्ठ सहायक, तृतीय	7500340735	1 — हिन्दी अभिलेखपाल। 2 — विभाग—4 कर एवं उपकर 3 — विभाग—5 पृथक राजस्व स्टाम्प 4 — विभाग—6 पेंशन एवं ऋण 5 — विभाग 22 देय लिपिक 6 — विभाग— 26

			7 – विभाग–41 पुनर्वास 8 – विभाग 42 आबकारी 9 – विभाग 44 अर्थ एवं संख्या
10.	श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ सहायक, चतुर्थ	9760748128	1 – विभाग–1 चकबन्दी 2 – विभाग–09 आयुक्त एवं जिला कार्यालय के अधिष्ठान 3 – विभाग–10 4 – विभाग–11 राजकीय आस्थान 5 – विभाग–12 6 – विभाग–14 नियुक्ति 7 – विभाग–40 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
11.	श्री प्रबोध किशोर कनिष्ठ सहायक, प्रथम	9897323010	1 – अहलमद, न्यायालय अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कैम्प देहरादून। 2 – विभाग–25 निर्वाचन 3 – विभाग–36 समाज कल्याण 4 – विभाग 19 गृह कारागार 5 – विभाग–31 अभ्यर्थना
12	श्री बलदेब प्रकाश वरिष्ठ सहायक	9897291556	1 – विभाग 20 गृह, राजस्व पुलिस 2 – विभाग–3 संग्रह 3 – विभाग–43 सूचना एवं लोक संपर्क 4 – सूचना सहायक
13	श्री केशर सिंह कनिष्ठ सहायक	8126268141	1 – इन्द्राज लिपिक, 2 – विभाग–16 3 – विभाग– 24 लानिविं 4 – विभाग–30 उद्योग 5 – विभाग–32 धर्मार्थ कार्य
15	श्री जितेन्द्र उनियाल कनिष्ठ सहायक	7895565278	1 – प्रेषण लिपिक का कार्य 2 – आंगल अभिलेखपाल
16	श्री राजेश कुमार, कम्प्यूटर आपरेटर एवं डाटा इंट्री आपरेटर (उपनल द्वारा आटसोर्स पर)	7895489850	1 – शिकायत प्रकोष्ठ सहायक, 2 – विभाग 15 सामान्य प्रशासन

## मैनुअल संख्या—7

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के संबंध में सूचना:-

मण्डलायुक्त द्वारा निम्न बैठकों की अध्यक्षता अथवा बैठकों में प्रतिभाग किया जाता है:-

1. अन्तर्राज्यीय समन्वय बैठकों की अध्यक्षता।
2. विकास से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक।
3. 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठकों में प्रतिभाग एवं निर्देशन।
4. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून बैठक की अध्यक्षता।
5. हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार बैठक की अध्यक्षता।
6. दूनघाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, देहरादून बैठक की अध्यक्षता।
7. विभिन्न सलाहकार समिति तथा मण्डल स्तरीय बैठकों, जिनमें विभिन्न स्तर के प्रतिनिधि प्रतिभाग करते हैं, की अध्यक्षता।

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में मण्डलायुक्त स्तर पर कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है। शासन द्वारा घोषित नीतियों को मण्डल/ जनपद स्तर पर कार्यान्वयित कराया जाता है।

## मैनुअल संख्या-8

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण । साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी ।

- मण्डल स्तर पर स्थानीय निकायों की समीक्षा हेतु बैठकों का आयोजन किया जाता है । मण्डल स्तर पर विकास संबंधी बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें मण्डल स्तरीय अधिकारी, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभाग करते हैं। की बैठकों में विभिन्न सलाहकार समिति तथा विभिन्न स्तर के प्रतिनिधि/जन प्रतिनिधि प्रतिभाग करते हैं।

## मैनुअल-9

### अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका मात्र  
सूचना आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निम्नवत है:-

क्रं सं०	नाम	पदनाम	एस०टी० डी०कोड	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष आवास	फैक्स नम्बर	ई-मेल	पता
1	श्री विनय शंकर पाण्डे I.A.S	आयुक्त गढ़वाल मण्डल	01368	222564	222563	222378, 221682	commissi oner.gar hwal@g mail.com	आयुक्त आवास कण्डोलिया, पौड़ी।
2	श्री नरेन्द्र सिंह कवीरियाल (P.C.S.)	अपर आयुक्त (प्रशासन), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।	01368	222008	—	221682	—	जलागम अफसर कालानी, पौड़ी
3	श्री नेत्र सिंह रावत	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01368	222485	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
4	श्री दिनकर चन्द पंत	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	0135	2655981	—	2655973	—	कैम्प देहरादून
5	श्री राकेश रावत	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी—	01368	222563	—	222378	—	कण्डोलिया, पौड़ी
6	श्री धर्म सिंह	प्रशासनिक	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया,

	रावत	अधिकारी						पौड़ी
7	श्री विजय कुमार नैथानी	प्रधान सहायक— प्रथम	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
8	श्री धीरज सिंह कण्डारी	प्रधान सहायक— द्वितीय	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
9	श्री बृजभूषण सिंह यादव	प्रधान सहायक— तृतीय	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
10	श्री दिगम्बर बहुगुणा	वरिष्ठ सहायक— प्रथम	—	—	—	—	—	सम्बद्ध देहरादून
11	श्री मुकेश ढौड़ियाल	वरिष्ठ सहायक— द्वितीय	0135	2655981	—	2655973	—	कैम्प देहरादून
12	श्री लक्ष्मण सिंह नेगी।	वरिष्ठ सहायक— तृतीय	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
13	श्री प्रेमचन्द्र	वरिष्ठ सहायक— चर्तुर्थ	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
14	श्री अनूप कुमार	वैयक्तिक सहायक	01368	22256	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी / कैम्प देहरादून
15	श्री प्रबोध किशोर	कनिष्ठ सहायक—	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी

		प्रथम						
16	श्री केशर सिंह	कनिष्ठ सहायक	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
17	प्रीति जुयाल	वैयक्तिक सहायक	0135	2655981	—	2655973	—	कैम्प देहरादून।
18	श्री जितेन्द्र उनियाल	कनिष्ठ सहायक	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
19	श्री विनोद कुमार	वाहन चालक	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
20	श्री राजेश कुमार,	कम्प्यूटर आपरेटर	01368	222563	—	222378	—	कण्डोलिया, पौड़ी
21	श्रीमती भाद्री देवी	अनुसेविका	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
22	श्री हरिभक्त बड़थाल	अर्दली	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
23	श्री अनूप कुमार	अनुसेवक	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
24	श्री अनिल सिंह	अनुसेवक	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
25	श्रीमती उर्मिला देवी	अनुसेविका	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
26	श्री शुभम	अनुसेविका	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
27	श्री दिलबर सिंह	चैकीदार	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी
28	श्री विनोद चौहान	अनुसेवक	01368	222564	—	221682	—	कण्डोलिया, पौड़ी

29	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	अनुसेवक	0135	2655981	—	2655973	—	कैम्प देहरादून।
30	श्री धर्मेन्द्र प्रसाद	अनुसेवक	0135	2655981	—	2655973	—	कैम्प देहरादून।

## मैनुअल संख्या—10

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति (अ) आयुक्त कार्यालय अधिष्ठान (अप्रैल, 2022 की स्थिति)

क्र. सं	नाम / पदनाम	मूल वेतन / वैयक्तिक वेतन	डी0 ए0 (रु0)	पर्वतीय विकास भत्ता (रु0)	मकान किराया भत्ता (रु0)	विशेष भत्ता (रु0)	अन्य भत्ता (रु0)	योग (रु0)
1	श्री विनय शंकर पाण्डेय I.A.S मण्डलायुक्त							शासन से वेतन आहरण किया जाता है
2	श्री नरेन्द्र सिंह क्वारियाल (P.C.S.) अपर आयुक्त (प्रशासन)	1,30,600	54,852	540	—	—	—	1,85,992
3	श्री नेत्र सिंह रावत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	69,000	28,980	540	6750	—	—	1,05,270
4	श्री दिनकर चन्द्र पंत मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	75,400	31,668	540	6,750	—	420	1,14,778
5	श्री राकेश रावत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	62,200	26,124	480	5,750	—	280	94,834
6	श्री धर्म सिंह रावत प्रशासनिक अधिकारी	56,900	23,898	460	5,400	—	460	87,118
7	श्री विजय कुमार नैथानी	53,600	22,512	460	5400	—	—	81972

	प्रधान सहायक (प्रथम)							
8	श्री धीरज सिंह कण्डारी प्रधान सहायक (द्वितीय)	47,600	19,992	420	—	—	—	68,012
9	श्री बृजभूषण सिंह प्रधान सहायक (तृतीय)	47,600	19,992	420	4,250	—	—	72,262
10	श्री दिगम्बर बहुगुणा वरिष्ठ सहायक— प्रथम।	38,100	16,002	280	3,550	—	280	58,212
11	श्री मुकेश ढोडियाल वरिष्ठ सहायक— द्वितीय	37,000	15,540	280	3,550	—	—	56,370
12	श्री लक्ष्मण सिंह नेगी।। वरिष्ठ सहायक— तृतीय	35,900	15,078	280	—	—	—	51,258
13	श्री प्रेमचन्द्र वरिष्ठ सहायक— चर्तुर्थ	34,900	14,658	280	3,550	—	—	53,338
14	श्री अनूप कुमार वैयवितक सहायक	39,900	16,758	420	4,250	—	—	61,328
15	श्री प्रबोध किशोर कनिष्ठ सहायक— प्रथम	30,200	12,684	200	2,650	—	—'	45,734
16	श्री केशर सिंह कनिष्ठ सहायक— द्वितीय	36,400	15,288	240	3,100	—	240	55,268
17	श्री विनोद कुमार वाहन चालक	38,100	16,002	280	3,550	—	90	58,022
18	प्रीति जुयाल	29,200	12,264	280	3,550	—	—	45,294

19	वैयक्ति सहायक जितेन्द्र उनियाल कनिष्ठ सहायक	21,700	9,114	200	2,650	—	—	33,664
20	श्री राजेश कुमार, कम्प्यूटर आपरेटर	उपनल के माध्यम से रूपये	19,036 पारिश्रमिक	—	—	—	5,806 प्रोत्साहन भत्ता	24,842
21	श्रीमती भादी देवी अनुसेविका	40400	16,968	280	3550		90	61,288
22	श्री हरिभक्त बड़थाल अर्दली	38,100	16,002	280	—	180	90	54,652
23	श्री अनूप कुमार अनुसेवक	32,200	13,440	190	—	—	90	45,720
24	श्री अनिल सिंह हेड अर्दली	32,200	13,440	190	2500	—	90	48,220
25	श्रीमती उर्मिला देवी अनुसेविका	33,300	13,986	240	—	—	90	47,616
26	श्री शुभम अनुसेवक	18,000	7,560	180	2,500	—	—	28,240
27	श्री दिलबर सिंह चैकीदार	उपनल के माध्यम से रूपये	15,059 पारिश्रमिक	—	—	—	5,806 प्रोत्साहन भत्ता	20,865
28	श्री विनोद चौहान, अनुसेवक	उपनल के माध्यम से रूपये	15,059 पारिश्रमिक	—	—	—	5,806 प्रोत्साहन भत्ता	20,865
29	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी,		15,059	—	—	—	5,806	20,865

	अनुसेवक		पारिश्रमिक				प्रोत्साहन भत्ता	
30	श्री धर्मन्द्र प्रसाद, अनुसेवक	उपनल के माध्यम से रूपये	15,059 पारिश्रमिक	—	—	—	5,806 प्रोत्साहन भत्ता	20,865

## मैनुअल संख्या-11

### आयुक्त कार्यालय अधिष्ठानः—

**Integrated Financial Management System (IFMS)  
Government of Uttarakhand**

**Budget Register From 01-Apr-2022 To 28-Dec-2023**

Treasury : Garhwal (4200)

DDO :Commissioner GarhwalPauri (4)

Print Date 28-Dec

Scheme :006 : 205300093030031 MB Object Code :31

Sl. No.	Particular	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	B20530007	18-MAY-2022	-	1,25,000	-1,25,000	VP4200421805222000
2	B20530042	17-SEP-2022	-	2,00,000	-3,25,000	VP4200421809222000
3	H23060060042	12-JUN-2023	2,00,000	-	-1,25,000	
4	B20530042	24-AUG-2023	-	2,00,000	-3,25,000	VP4200421808232011
5	H23110060012	07-NOV-2023	1,00,000	-	-2,25,000	
6	B20530021	13-DEC-2023	-	1,00,000	-3,25,000	VP4200421811232007
<b>Total</b>			<b>3,00,000</b>	<b>6,25,000</b>	<b>-3,25,000</b>	

Scheme :006 : 205300093030042 MB Object Code :42

<b>Sl. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Date</b>	<b>Release Amt.</b>	<b>Expenditure</b>	<b>Balance</b>	<b>Remarks</b>
1	B20530262	29-MAR-2023	-	10,000	-,10,000	CA4200421803231001
	<b>Total</b>		-	<b>10,000</b>	<b>-,10,000</b>	

Scheme :006 : 205300101030001 MB Object Code :01

<b>Sl. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Date</b>	<b>Release Amt.</b>	<b>Expenditure</b>	<b>Balance</b>	<b>Remarks</b>
1	A20530003	19-APR-2022	-	15,93,495	-,15,93,495	PB4200421804221001
2	A20530016	30-APR-2022	-	15,93,495	-,31,86,990	PB4200421804221003
3	A20530012	31-MAY-2022	-	16,02,895	-,47,89,885	PB4200421805221001
4	A20530001	01-JUL-2022	-	18,10,165	-,66,00,050	PB4200421807221000
5	A20530021	30-JUL-2022	-	18,02,166	-,84,02,216	PB4200421807221003
6	A20530022	30-JUL-2022	-	1,44,429	-,85,46,645	PB4200421807221002
7	A20530015	31-AUG-2022	-	18,03,824	-1,03,50,469	PB4200421808221000
8	A20530006	15-SEP-2022	-	10,857	-1,03,61,326	PM4200421809221000
9	A20530001	03-OCT-2022	-	18,03,824	-1,21,65,150	PB4200421809221000
10	A20530028	24-OCT-2022	-	1,17,436	-1,22,82,586	BB4200421810221000
11	A20530025	31-OCT-	-	18,03,824	-1,40,86,410	PB4200421810221001

2022						
12	A20530001	01-DEC-2022	-	20,60,496	-1,61,46,906	PB4200421812221001
13	A20530036	31-DEC-2022	-	18,55,168	-1,80,02,074	PB4200421812221002
14	A20530002	01-FEB-2023	-	17,32,076	-1,97,34,150	PB4200421802231000
15	A20530003	01-MAR-2023	-	17,32,076	-2,14,66,226	PB4200421802231002
16	A20530009	13-MAR-2023	-	51,060	-2,15,17,286	PM4200421803231002
17	A20530005	20-APR-2023	-	17,32,076	-2,32,49,362	PB4200421804231001
18	A20530001	02-MAY-2023	-	16,25,816	-2,48,75,178	PB4200421805231002
19	A20530008	01-JUN-2023	-	16,25,816	-2,65,00,994	PB4200421806231000
20	A20530002	03-JUL-2023	-	19,41,283	-2,84,42,277	PB4200421807231000
21	A20530002	01-AUG-2023	-	15,35,554	-2,99,77,831	PB4200421807231003
22	A20530001	01-SEP-2023	-	15,35,554	-3,15,13,385	PB4200421808231000
23	A20530021	25-SEP-2023	-	21,916	-3,15,35,301	SP4200421809231001
24	A20530031	30-SEP-2023	-	15,80,848	-3,31,16,149	PB4200421809231000
25	A20530004	01-NOV-2023	-	16,09,083	-3,47,25,232	PB4200421811231000
26	A20530025	21-NOV-2023	-	1,17,436	-3,48,42,668	BB4200421811231000
27	A20530002	02-DEC-2023	-	16,14,512	-3,64,57,180	PB4200421812231000
<b>Total</b>				<b>-3,64,57,180</b>	<b>-3,64,57,180</b>	

Scheme :006 : 205300101030002 MB Object Code :02

<b>Sl. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Date</b>	<b>Release Amt.</b>	<b>Expenditure</b>	<b>Balance</b>	<b>Remarks</b>
1	B20530011	17-OCT-2022	-	12,000	-,12,000	OP4200421810221001
2	B20530004	01-DEC-2022	-	10,620	-,22,620	OP4200421811221003
3	B20530003	01-DEC-2022	-	24,780	-,47,400	OP4200421811221004
4	B20530005	01-DEC-2022	-	12,744	-,60,144	OP4200421811221002
5	B20530006	01-DEC-2022	-	24,780	-,84,924	OP4200421811221001
6	B20530130	20-MAR-2023	-	1,00,288	-1,85,212	OP4200421803231003
7	B20530269	29-MAR-2023	-	8,496	-1,93,708	OP4200421803231004
8	H23040060043	25-APR-2023	1,00,000	-	-,93,708	
9	B20530003	20-MAY-2023	-	96,400	-1,90,108	VP4200421805232017
10	H23070060073	24-JUL-2023	75,000	-	-1,15,108	
11	B20530062	26-OCT-2023	-	73,775	-1,88,883	VP4200421810232012
<b>Total</b>			<b>1,75,000</b>	<b>3,63,883</b>	<b>-1,88,883</b>	

Scheme :006 : 205300101030004 MB Object Code :04

<b>Sl. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Date</b>	<b>Release Amt.</b>	<b>Expenditure</b>	<b>Balance</b>	<b>Remarks</b>
--------------------	-------------------	-------------	---------------------	--------------------	----------------	----------------

1	B20530008	21-MAY-2022	-	14,000	-,14,000	CB4200421805221005
2	B20530058	28-JUN-2022	-	5,750	-,19,750	CB4200421806221000
3	B20530037	22-AUG-2022	-	13,650	-,33,400	CB4200421808221013
4	B20530035	22-AUG-2022	-	22,200	-,55,600	CB4200421808221012
5	B20530036	22-AUG-2022	-	8,750	-,64,350	VP4200421808222007
6	B20530044	27-SEP-2022	-	4,020	-,68,370	CB4200421809221001
7	B20530012	18-OCT-2022	-	4,350	-,72,720	CB4200421810221034
8	B20530039	28-OCT-2022	-	8,650	-,81,370	CB4200421810221020
9	B20530034	28-OCT-2022	-	10,750	-,92,120	CB4200421810221006
10	B20530035	28-OCT-2022	-	6,200	-,98,320	CB4200421810221011
11	B20530037	28-OCT-2022	-	22,750	-1,21,070	CB4200421810221008
12	B20530038	28-OCT-2022	-	29,650	-1,50,720	CB4200421810221033
13	B20530036	28-OCT-2022	-	27,250	-1,77,970	CB4200421810221007
14	B20530014	08-DEC-2022	-	17,050	-1,95,020	CB4200421812221000
15	B20530051	09-DEC-2022	-	7,450	-2,02,470	VP4200421811222009
16	B20530070	13-DEC-2022	-	16,750	-2,19,220	CB4200421812221005
17	B20530068	13-DEC-2022	-	4,250	-2,23,470	CB4200421812221004
18	B20530069	13-DEC-2022	-	9,900	-2,33,370	CB4200421812221006
19	B20530018	11-JAN-2023	-	12,600	-2,45,970	CB4200421801231004
20	B20530019	11-JAN-2023	-	6,750	-2,52,720	CB4200421801231003
21	B20530024	13-JAN-2023	-	11,200	-2,63,920	VP4200421801232003
22	B20530028	17-JAN-2023	-	2,700	-2,66,620	CB4200421801231006
23	B20530029	17-JAN-2023	-	9,000	-2,75,620	CB4200421801231005

24	B20530017	13-MAR-2023	-	5,550	-2,81,170	CB4200421803231016
25	B20530010	13-MAR-2023	-	7,600	-2,88,770	CB4200421802231007
26	B20530018	13-MAR-2023	-	15,450	-3,04,220	OP4200421802231002
27	B20530016	13-MAR-2023	-	5,950	-3,10,170	CB4200421803231026
28	B20530015	13-MAR-2023	-	5,700	-3,15,870	CB4200421803231028
29	B20530013	13-MAR-2023	-	8,600	-3,24,470	CB4200421802231001
30	B20530012	13-MAR-2023	-	9,550	-3,34,020	CB4200421802231003
31	B20530014	13-MAR-2023	-	6,450	-3,40,470	CB4200421803231027
32	B20530011	13-MAR-2023	-	21,200	-3,61,670	CB4200421802231005
33	B20530063	17-MAR-2023	-	14,250	-3,75,920	CB4200421803231065
34	B20530065	17-MAR-2023	-	12,400	-3,88,320	CB4200421803231067
35	B20530068	17-MAR-2023	-	14,350	-4,02,670	CB4200421803231061
36	B20530100	17-MAR-2023	-	28,000	-4,30,670	CB4200421803231059
37	B20530061	17-MAR-2023	-	4,500	-4,35,170	CB4200421803231063
38	B20530062	17-MAR-2023	-	4,800	-4,39,970	CB4200421803231064
39	B20530058	17-MAR-2023	-	5,450	-4,45,420	CB4200421803231058
40	B20530066	17-MAR-2023	-	10,750	-4,56,170	VP4200421803232029
41	B20530054	17-MAR-2023	-	6,000	-4,62,170	CB4200421803231048
42	B20530055	17-MAR-2023	-	4,500	-4,66,670	CB4200421803231055
43	B20530057	17-MAR-2023	-	4,600	-4,71,270	CB4200421803231057
44	B20530064	17-MAR-2023	-	6,200	-4,77,470	CB4200421803231047
45	B20530067	17-MAR-2023	-	700	-4,78,170	CB4200421803231069
46	B20530056	17-MAR-2023	-	6,300	-4,84,470	CB4200421803231056

47	B20530059	17-MAR-2023	-	5,450	-4,89,920	CB4200421803231060
48	B20530060	17-MAR-2023	-	10,000	-4,99,920	CB4200421803231062
49	B20530288	29-MAR-2023	-	13,300	-5,13,220	VP4200421803232060
50	B20530286	29-MAR-2023	-	4,500	-5,17,720	CB4200421803231087
51	B20530284	29-MAR-2023	-	16,900	-5,34,620	CB4200421803231084
52	B20530283	29-MAR-2023	-	3,800	-5,38,420	CB4200421803231086
53	B20530282	29-MAR-2023	-	6,550	-5,44,970	CB4200421803231085
54	B20530266	29-MAR-2023	-	6,300	-5,51,270	VP4200421803232061
55	B20530287	29-MAR-2023	-	9,000	-5,60,270	CB4200421803231088
56	B20530279	29-MAR-2023	-	3,520	-5,63,790	VP4200421803232066
57	B20530289	29-MAR-2023	-	10,200	-5,73,990	VP4200421803232052
58	B20530285	29-MAR-2023	-	12,600	-5,86,590	VP4200421803232062
59	B20530280	29-MAR-2023	-	5,700	-5,92,290	VP4200421803232065
60	B20530281	29-MAR-2023	-	7,700	-5,99,990	VP4200421803232064
61	H23040060043	25-APR-2023	2,00,000	-	-3,99,990	
62	B20530033	22-AUG-2023	-	10,800	-4,10,790	CB4200421808231004
63	B20530038	22-AUG-2023	-	10,000	-4,20,790	VP4200421808232010
64	B20530035	22-AUG-2023	-	32,950	-4,53,740	CB4200421808231008
65	B20530037	22-AUG-2023	-	26,100	-4,79,840	VP4200421808232009
66	B20530040	22-AUG-2023	-	13,100	-4,92,940	VP4200421808232005
67	B20530034	22-AUG-2023	-	9,500	-5,02,440	CB4200421808231012
68	B20530025	22-AUG-2023	-	10,250	-5,12,690	CB4200421808231006
69	B20530039	22-AUG-2023	-	7,300	-5,19,990	VP4200421808232007

70	B20530031	22-AUG-2023	-	11,250	-5,31,240	CB4200421808231005
71	B20530036	22-AUG-2023	-	17,900	-5,49,140	CB4200421808231007
72	H23100060033	10-OCT-2023	2,00,000	-	-3,49,140	
73	B20530027	17-OCT-2023	-	25,700	-3,74,840	CB4200421810231003
74	B20530036	20-DEC-2023	-	8,650	-3,83,490	CB4200421812231011
75	B20530037	20-DEC-2023	-	8,650	-3,92,140	CB4200421812231010
76	B20530032	20-DEC-2023	-	9,900	-4,02,040	CB4200421812231009
77	B20530035	20-DEC-2023	-	30,250	-4,32,290	VP4200421812232011
78	B20530031	20-DEC-2023	-	9,900	-4,42,190	CB4200421812231008
79	B20530034	20-DEC-2023	-	9,000	-4,51,190	VP4200421812232010
80	B20530033	20-DEC-2023	-	4,550	-4,55,740	CB4200421812231013
81	B20530039	21-DEC-2023	-	490	-4,56,230	CB4200421812231019
82	B20530038	21-DEC-2023	-	9,000	-4,65,230	VP4200421812232016
83	B20530040	21-DEC-2023	-	42,750	-5,07,980	CB4200421812231018

<b>Total</b>	<b>4,00,000</b>	<b>9,07,980</b>	<b>-5,07,980</b>	
--------------	-----------------	-----------------	------------------	--

Scheme :006 : 205300101030007 MB Object Code :07

Sl. No.	Particular	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	A20530008	10-MAR-2023	-	12,000	-,12,000	PM4200421803231000
2	H23040060043	25-APR-2023	25,000	-	13,000	

<b>Total</b>	<b>25,000</b>	<b>12,000</b>	<b>13,000</b>	
--------------	---------------	---------------	---------------	--

Scheme :006 : 205300101030008 MB Object Code :08

<b>Sl. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Date</b>	<b>Release Amt.</b>	<b>Expenditure</b>	<b>Balance</b>	<b>Remarks</b>
1	B20530012	27-MAY-2022		- 32,277	-,32,277	VP4200421805222004
2	B20530010	27-MAY-2022		- 70,249	-1,02,526	VP4200421805222006
3	B20530011	27-MAY-2022		- 78,404	-1,80,930	VP4200421805222003
4	B20530012	08-AUG-2022		- 1,23,805	-3,04,735	VP4200421808222003
5	B20530011	08-AUG-2022		- 2,77,988	-5,82,723	VP4200421808222000
6	B20530032	16-SEP-2022		- 1,09,811	-6,92,534	VP4200421808222019
7	B20530033	17-SEP-2022		- 1,17,585	-8,10,119	VP4200421809222003
8	B20530033	21-OCT-2022		- 80,283	-8,90,402	VP4200421810222006
9	B20530067	09-DEC-2022		- 1,06,403	-9,96,805	VP4200421812222000
10	B20530048	24-FEB-2023		- 96,971	-,10,93,776	VP4200421802232002
11	B20530045	24-FEB-2023		- 99,653	-,11,93,429	VP4200421802232003
12	B20530044	24-FEB-2023		- 99,749	-,12,93,178	VP4200421802232004
13	B20530047	24-FEB-2023		- 1,22,161	-,14,15,339	VP4200421802232015
14	B20530043	24-FEB-2023		- 1,09,233	-,15,24,572	VP4200421802232001
15	B20530049	24-FEB-2023		- 41,505	-,15,66,077	VP4200421802232000
16	B20530004	06-MAR-2023		- 1,15,433	-,16,81,510	VP4200421803232028
17	B20530263	29-MAR-2023		- 21,045	-,17,02,555	VP4200421803232080
18	B20530264	29-MAR-2023		- 96,929	-,17,99,484	VP4200421803232081
19	H23040060043	25-APR-2023	12,00,000	-	-5,99,484	
20	B20530007	20-MAY-2023		- 1,17,586	-7,17,070	VP4200421805232005
21	B20530006	20-MAY-2023		- 1,17,586	-8,34,656	VP4200421805232003

22	B20530067	26-JUN-2023	-	2,00,487	-,10,35,143	VP4200421806232013
23	B20530021	15-JUL-2023	-	1,58,638	-,11,93,781	VP4200421807232009
24	B20530017	09-AUG-2023	-	1,58,638	-,13,52,419	VP4200421808232001
25	B20530020	14-SEP-2023	-	1,45,260	-,14,97,679	VP4200421809232000
26	H23100060033	10-OCT-2023	8,00,000	-	-6,97,679	
27	B20530030	17-OCT-2023	-	1,31,548	-8,29,227	VP4200421810232000
28	B20530049	07-NOV-2023	-	1,31,548	-9,60,775	VP4200421811232001
29	B20530013	08-DEC-2023	-	1,05,268	-,10,66,043	VP4200421812232003
30	B20530010	08-DEC-2023	-	26,280	-,10,92,323	VP4200421812232006

<b>Total</b>	<b>20,00,000</b>	<b>30,92,323</b>	<b>-,10,92,323</b>	
--------------	------------------	------------------	--------------------	--

Scheme :006 : 205300101030009 MB Object Code :09

Sl. No.	Particular	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	B20530022	08-AUG-2022	-	6,929	-6,929	CB4200421808221001
2	B20530021	08-AUG-2022	-	9,292	-,16,221	CB4200421808221003
3	B20530064	09-DEC-2022	-	2,610	-,18,831	CB4200421812221003
4	B20530278	29-MAR-2023	-	6,554	-,25,385	CB4200421803231092
5	H23040060043	25-APR-2023	50,000	-	24,615	
6	B20530063	26-JUN-2023	-	4,844	19,771	CB4200421806231002
7	B20530064	26-JUN-2023	-	4,850	14,921	CB4200421806231003
<b>Total</b>			<b>50,000</b>	<b>35,079</b>	<b>14,921</b>	

Scheme :006 : 205300101030011 MB Object Code :11

<b>Sl. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Date</b>	<b>Release Amt.</b>	<b>Expenditure</b>	<b>Balance</b>	<b>Remarks</b>
1	B20530116	20-MAR-2023	-	20,000	-,20,000	VP4200421803232044
2	B20530247	28-MAR-2023	-	7,457	-,27,457	CB4200421803231070
3	H23070060073	24-JUL-2023	50,000	-	22,543	
<b>Total</b>			<b>50,000</b>	<b>27,457</b>	<b>22,543</b>	

Scheme :006 : 205300101030020 MB Object Code :20

<b>Sl. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Date</b>	<b>Release Amt.</b>	<b>Expenditure</b>	<b>Balance</b>	<b>Remarks</b>
1	B20530027	15-SEP-2022	-	44,100	-,44,100	VP4200421807222001
2	B20530025	15-SEP-2022	-	1,25,816	-1,69,916	VP4200421808222017
3	B20530028	15-SEP-2022	-	70,351	-2,40,267	VP4200421808222016
4	B20530017	10-NOV-2022	-	47,672	-2,87,939	VP4200421810222000
5	B20530104	27-DEC-2022	-	9,674	-2,97,613	VP4200421812222008
6	B20530022	13-JAN-2023	-	24,780	-3,22,393	VP4200421812222003
7	B20530027	16-JAN-2023	-	23,727	-3,46,120	VP4200421812222019
8	B20530030	19-JAN-2023	-	53,880	-4,00,000	VP4200421811222010
9	B20530123	20-MAR-2023	-	14,755	-4,14,755	VP4200421803232019
10	B20530121	20-MAR-2023	-	28,498	-4,43,253	VP4200421803232022
11	B20530120	20-MAR-2023	-	24,640	-4,67,893	VP4200421803232025
12	B20530125	20-MAR-2023	-	28,000	-4,95,893	VP4200421803232018

13	B20530124	20-MAR-2023	-	17,582	-5,13,475	VP4200421803232020
14	B20530174	23-MAR-2023	-	72,492	-5,85,967	VP4200421803232017
15	B20530245	28-MAR-2023	-	10,795	-5,96,762	VP4200421803232036
16	B20530271	29-MAR-2023	-	44,450	-6,41,212	VP4200421803232057
17	B20530270	29-MAR-2023	-	99,120	-7,40,332	VP4200421803232056
18	B20530273	29-MAR-2023	-	58,218	-7,98,550	VP4200421803232071
19	H23040060043	25-APR-2023	3,00,000	-	-4,98,550	
20	B20530029	17-OCT-2023	-	5,200	-5,03,750	VP4200421809232014
21	B20530056	26-OCT-2023	-	29,815	-5,33,565	VP4200421809232012
22	B20530065	26-OCT-2023	-	1,03,791	-6,37,356	VP4200421810232009
23	H23100060063	30-OCT-2023	2,00,000	-	-4,37,356	

<b>Total</b>	<b>5,00,000</b>	<b>9,37,356</b>	<b>-4,37,356</b>
--------------	-----------------	-----------------	------------------

Scheme :006 : 205300101030021 MB Object Code :21

Sl. No.	Particular	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	B20530114	20-MAR-2023	-	32,981	-,32,981	VP4200421803232031
2	B20530126	20-MAR-2023	-	3,100	-,36,081	VP4200421803232035
3	B20530117	20-MAR-2023	-	18,880	-,54,961	VP4200421803232023
4	B20530172	23-MAR-2023	-	64,900	-1,19,861	VP4200421803232012
5	B20530173	23-MAR-2023	-	88,500	-2,08,361	VP4200421803232009
6	B20530251	28-MAR-2023	-	11,682	-2,20,043	VP4200421803232039
7	B20530267	29-MAR-2023	-	29,000	-2,49,043	VP4200421803232054
8	H23070060073	24-JUL-2023	2,00,000	-	-,49,043	

<b>Total</b>	<b>2,00,000</b>	<b>2,49,043</b>	<b>-49,043</b>
--------------	-----------------	-----------------	----------------

Scheme :006 : 205300101030022 MB Object Code :22

<b>Sl. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Date</b>	<b>Release Amt.</b>	<b>Expenditure</b>	<b>Balance</b>	<b>Remarks</b>
1	B20530053	24-JUN-2022	-	34,217	-,34,217	VP4200421806222002
2	B20530047	29-AUG-2022	-	15,000	-,49,217	VP4200421808222018
3	B20530049	29-AUG-2022	-	8,517	-,57,734	VP4200421808222020
4	B20530024	15-SEP-2022	-	47,250	-1,04,984	VP4200421807222002
5	B20530026	15-SEP-2022	-	48,938	-1,53,922	VP4200421807222000
6	B20530007	11-OCT-2022	-	11,375	-1,65,297	VP4200421810222001
7	B20530004	11-OCT-2022	-	12,750	-1,78,047	VP4200421810222002
8	B20530100	27-DEC-2022	-	20,000	-1,98,047	VP4200421812222013
9	B20530105	27-DEC-2022	-	2,400	-2,00,447	VP4200421811222006
10	B20530023	13-JAN-2023	-	1,12,088	-3,12,535	VP4200421812222007
11	B20530021	13-JAN-2023	-	24,780	-3,37,315	VP4200421812222004
12	B20530025	16-JAN-2023	-	24,249	-3,61,564	VP4200421811222005
13	B20530031	20-JAN-2023	-	49,696	-4,11,260	VP4200421812222005
14	B20530053	13-MAR-2023	-	33,890	-4,45,150	VP4200421812222006
15	B20530112	20-MAR-2023	-	25,488	-4,70,638	VP4200421803232011
16	B20530119	20-MAR-2023	-	37,680	-5,08,318	VP4200421803232016
17	B20530237	28-MAR-2023	-	1,38,836	-6,47,154	VP4200421803232014
18	B20530249	28-MAR-2023	-	2,470	-6,49,624	VP4200421803232043
19	B20530268	29-MAR-2023	-	44,840	-6,94,464	VP4200421803232055

20	B20530277	29-MAR-2023	-	99,904	-7,94,368	VP4200421803232053
21	B20530275	29-MAR-2023	-	23,600	-8,17,968	VP4200421803232072
22	B20530276	29-MAR-2023	-	14,050	-8,32,018	VP4200421803232073
23	B20530272	29-MAR-2023	-	16,115	-8,48,133	VP4200421803232059
24	H23040060043	25-APR-2023	3,00,000	-	-5,48,133	
25	B20530043	21-JUL-2023	-	9,000	-5,57,133	VP4200421806232011
26	B20530067	26-OCT-2023	-	1,00,336	-6,57,469	VP4200421810232007
27	B20530055	26-OCT-2023	-	1,10,436	-7,67,905	VP4200421810232006
28	B20530059	26-OCT-2023	-	1,552	-7,69,457	VP4200421810232015
29	B20530060	26-OCT-2023	-	6,000	-7,75,457	VP4200421810232014
30	B20530064	26-OCT-2023	-	64,714	-8,40,171	VP4200421810232010
31	H23100060063	30-OCT-2023	2,00,000	-	-6,40,171	
32	UNDER PROCESS	22-DEC-2023	-	20,000	-6,60,171	VP4200421812232017(UNDER PROCESS)
33	UNDER PROCESS	22-DEC-2023	-	38,232	-6,98,403	VP4200421812232018(UNDER PROCESS)

**Total**

**5,00,000**

**11,98,403**

**-6,98,403**

Scheme :006 : 205300101030023 MB Object Code :23

Sl. No.	Particular	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	B20530098	27-DEC-2022	-	1,50,000	-1,50,000	VP4200421811222007
2	H23040060043	25-APR-2023	2,00,000	-	50,000	
3	B20530042	21-JUL-2023	-	2,00,000	-1,50,000	VP4200421806232012

**Total**

**2,00,000**

**3,50,000**

**-1,50,000**

<b>Sl. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Date</b>	<b>Release Amt.</b>	<b>Expenditure</b>	<b>Balance</b>	<b>Remarks</b>
1	B20530054	24-JUN-2022	-	800	-,800	VP4200421806222003
2	B20530021	10-NOV-2022	-	16,258	-,17,058	VP4200421811222004
3	B20530002	01-DEC-2022	-	60,158	-,77,216	VP4200421811222012
4	B20530001	01-DEC-2022	-	22,439	-,99,655	VP4200421811222011
5	B20530102	27-DEC-2022	-	19,697	-1,19,352	VP4200421812222011
6	B20530101	27-DEC-2022	-	3,239	-1,22,591	VP4200421812222012
7	B20530020	13-JAN-2023	-	2,121	-1,24,712	VP4200421811222008
8	B20530035	30-JAN-2023	-	3,337	-1,28,049	VP4200421801232011
9	B20530131	20-MAR-2023	-	4,453	-1,32,502	CB4200421803231074
10	B20530239	28-MAR-2023	-	26,146	-1,58,648	VP4200421803232045
11	B20530238	28-MAR-2023	-	4,182	-1,62,830	VP4200421803232046
12	B20530241	28-MAR-2023	-	12,597	-1,75,427	VP4200421803232048
13	B20530240	28-MAR-2023	-	79,907	-2,55,334	VP4200421803232047
14	B20530242	28-MAR-2023	-	93,343	-3,48,677	VP4200421803232049
15	B20530216	28-MAR-2023	-	75,298	-4,23,975	VP4200421803232051
16	B20530057	26-OCT-2023	-	27,086	-4,51,061	VP4200421810232017
17	UNDER PROCESS	20-DEC-2023	-	4,181	-4,55,242	CB4200421812231020(UND PROCESS)
<b>Total</b>			-	<b>4,55,242</b>	<b>-4,55,242</b>	

<b>Sl. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Date</b>	<b>Release Amt.</b>	<b>Expenditure</b>	<b>Balance</b>	<b>Remarks</b>
1	B20530122	20-MAR-2023	-	15,104	-,15,104	VP4200421803232021
2	B20530113	20-MAR-2023	-	53,100	-,68,204	VP4200421803232010
3	B20530250	28-MAR-2023	-	26,255	-,94,459	VP4200421803232040
4	B20530246	28-MAR-2023	-	44,220	-1,38,679	VP4200421803232034
5	B20530274	29-MAR-2023	-	7,080	-1,45,759	VP4200421803232058
6	H23070060073	24-JUL-2023	1,50,000	-	4,241	
<b>Total</b>			<b>1,50,000</b>	<b>1,45,759</b>	<b>4,241</b>	

Scheme :006 : 205300101030027 MB Object Code :27

<b>Sl. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Date</b>	<b>Release Amt.</b>	<b>Expenditure</b>	<b>Balance</b>	<b>Remarks</b>
1	B20530010	08-AUG-2022	-	51,870	-,51,870	VP4200421808222002
2	B20530009	08-AUG-2022	-	51,870	-1,03,740	VP4200421808222001
3	B20530007	16-AUG-2022	-	17,670	-1,21,410	VP4200421808222005
4	B20530008	16-AUG-2022	-	17,670	-1,39,080	VP4200421808222004
5	B20530031	20-AUG-2022	-	8,000	-1,47,080	VP4200421808222006
6	B20530022	15-SEP-2022	-	17,670	-1,64,750	VP4200421809222001
7	B20530023	15-SEP-2022	-	17,670	-1,82,420	VP4200421809222002
8	B20530006	11-OCT-2022	-	17,100	-1,99,520	VP4200421810222005
9	B20530005	11-OCT-2022	-	17,100	-2,16,620	VP4200421810222004
10	B20530006	07-NOV-2022	-	17,670	-2,34,290	VP4200421811222000
11	B20530007	07-NOV-2022	-	17,670	-2,51,960	VP4200421811222001
12	B20530066	09-DEC-2022	-	17,100	-2,69,060	VP4200421812222001

13	B20530065	09-DEC-2022	-	17,100	-2,86,160	VP4200421812222002
14	B20530016	11-JAN-2023	-	17,670	-3,03,830	VP4200421801232001
15	B20530017	11-JAN-2023	-	17,670	-3,21,500	VP4200421801232002
16	B20530015	11-JAN-2023	-	14,800	-3,36,300	VP4200421801232000
17	B20530046	24-FEB-2023	-	17,670	-3,53,970	VP4200421802232013
18	B20530050	24-FEB-2023	-	17,670	-3,71,640	VP4200421802232014
19	B20530002	06-MAR-2023	-	15,960	-3,87,600	VP4200421803232006
20	B20530003	06-MAR-2023	-	15,960	-4,03,560	VP4200421803232005
21	B20530007	10-MAR-2023	-	1,260	-4,04,820	OP4200421803231002
22	H23040060043	25-APR-2023	5,00,000	-	95,180	
23	B20530004	20-MAY-2023	-	17,670	77,510	VP4200421805232001
24	B20530005	20-MAY-2023	-	17,670	59,840	VP4200421805232002
25	B20530065	26-JUN-2023	-	34,770	25,070	VP4200421806232000
26	B20530066	26-JUN-2023	-	34,770	-9,700	VP4200421806232001
27	B20530019	07-JUL-2023	-	9,500	-19,200	VP4200421807232000
28	B20530045	21-JUL-2023	-	17,100	-36,300	VP4200421807232011
29	B20530046	21-JUL-2023	-	17,100	-53,400	VP4200421807232013
30	B20530016	09-AUG-2023	-	17,670	-71,070	VP4200421808232002
31	B20530015	09-AUG-2023	-	17,670	-88,740	VP4200421808232003
32	B20530019	14-SEP-2023	-	17,670	-1,06,410	VP4200421809232001
33	B20530018	14-SEP-2023	-	17,670	-1,24,080	VP4200421809232002
34	B20530032	17-OCT-2023	-	17,100	-1,41,180	VP4200421810232002
35	B20530031	17-OCT-2023	-	17,100	-1,58,280	VP4200421810232001

36	B20530008	01-NOV-2023	-	2,000	-1,60,280	CB4200421810231011
37	B20530048	07-NOV-2023	-	2,400	-1,62,680	CB4200421811231006
38	B20530050	07-NOV-2023	-	17,670	-1,80,350	VP4200421811232005
39	B20530051	07-NOV-2023	-	17,670	-1,98,020	VP4200421811232006
40	B20530008	08-DEC-2023	-	17,100	-2,15,120	VP4200421812232001
41	B20530012	08-DEC-2023	-	17,100	-2,32,220	VP4200421812232002
<b>Total</b>				<b>5,00,000</b>	<b>7,32,220</b>	<b>-2,32,220</b>

Scheme :006 : 205300101030029 MB Object Code :29

Sl. No.	Particular	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	B20530009	27-MAY-2022	-	76,818	-,76,818	VP4200421805222005
2	B20530010	13-JUL-2022	-	80,000	-1,56,818	VP4200421806222001
3	B20530009	13-JUL-2022	-	43,096	-1,99,914	VP4200421806222000
4	B20530046	29-AUG-2022	-	1,37,281	-3,37,195	VP4200421808222014
5	B20530048	29-AUG-2022	-	98,396	-4,35,591	VP4200421808222015
6	B20530034	17-SEP-2022	-	25,000	-4,60,591	CB4200421809221000
7	B20530107	27-DEC-2022	-	57,767	-5,18,358	VP4200421811222002
8	B20530099	27-DEC-2022	-	39,573	-5,57,931	VP4200421812222010
9	B20530103	27-DEC-2022	-	94,610	-6,52,541	VP4200421812222009
10	B20530106	27-DEC-2022	-	38,586	-6,91,127	VP4200421811222003
11	B20530037	30-JAN-2023	-	68,604	-7,59,731	VP4200421801232010
12	B20530036	30-JAN-2023	-	6,319	-7,66,050	VP4200421801232009
13	B20530115	20-MAR-2023	-	77,514	-8,43,564	VP4200421803232041

14	B20530129	20-MAR-2023	-	51,985	-8,95,549	VP4200421803232042
15	B20530128	20-MAR-2023	-	4,279	-8,99,828	CB4200421803231072
16	H23040060043	25-APR-2023	5,00,000	-	-3,99,828	
17	B20530001	11-MAY-2023	-	1,62,866	-5,62,694	VP4200421805232006
18	B20530040	21-JUL-2023	-	16,894	-5,79,588	VP4200421807232008
19	B20530044	21-JUL-2023	-	97,071	-6,76,659	VP4200421806232010
20	B20530041	21-JUL-2023	-	48,398	-7,25,057	VP4200421807232001
21	H23070060073	24-JUL-2023	2,00,000	-	-5,25,057	
22	B20530019	14-AUG-2023	-	72,733	-5,97,790	VP4200421808232000
23	B20530016	14-SEP-2023	-	78,905	-6,76,695	VP4200421809232010
24	B20530017	14-SEP-2023	-	97,517	-7,74,212	VP4200421809232011
25	B20530028	17-OCT-2023	-	13,095	-7,87,307	VP4200421809232013
26	B20530058	26-OCT-2023	-	43,970	-8,31,277	VP4200421810232016
27	H23100060063	30-OCT-2023	2,00,000	-	-6,31,277	
28	B20530001	02-DEC-2023	-	57,045	-6,88,322	VP4200421811232008
29	UNDER PROCESS	22-DEC-2023	-	92,853	-7,81,175	VP4200421812232014(UND PROCESS)
30	UNDER PROCESS	22-DEC-2023	-	18,818	-7,99,993	VP4200421812232013(UND PROCESS)

<b>Total</b>	<b>9,00,000</b>	<b>16,99,993</b>	<b>-7,99,993</b>	
--------------	-----------------	------------------	------------------	--

Scheme :006 : 205300101030042 MB Object Code :42

Sl. No.	Particular	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	B20530127	20-MAR-2023	-	58,125	-58,125	VP4200421803232037

2	B20530132	20-MAR-2023	-	13,132	-,71,257	VP4200421803232026
3	B20530118	20-MAR-2023	-	45,285	-1,16,542	VP4200421803232007
4	B20530168	22-MAR-2023	-	1,06,452	-2,22,994	VP4200421803232030
5	B20530244	28-MAR-2023	-	8,378	-2,31,372	VP4200421803232038
6	B20530243	28-MAR-2023	-	15,250	-2,46,622	VP4200421803232027
7	B20530265	29-MAR-2023	-	1,03,254	-3,49,876	VP4200421803232024
8	H23070060073	24-JUL-2023	2,00,000	-	-1,49,876	
9	B20530066	26-OCT-2023	-	1,09,070	-2,58,946	VP4200421810232008
10	B20530063	26-OCT-2023	-	44,789	-3,03,735	VP4200421810232011
11	B20530061	26-OCT-2023	-	26,253	-3,29,988	VP4200421810232013
12	H23100060063	30-OCT-2023	1,00,000	-	-2,29,988	

<b>Total</b>	<b>3,00,000</b>	<b>5,29,988</b>	<b>-2,29,988</b>	
--------------	-----------------	-----------------	------------------	--

Scheme :006 : 405960051030053 MB Object Code :53

Sl. No.	Particular	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	B40590001	26-SEP-2022	-	34,00,000	-,34,00,000	WH4200421809221000
	<b>Total</b>			<b>- 34,00,000</b>	<b>- ,34,00,000</b>	

Scheme :007 : 761000201040061 MB Object Code :61

Sl. No.	Particular	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	B76100003	06-MAR-2023	-	1,87,220	-1,87,220	AB4200421802231001
2	B76100006	06-MAR-2023	-	1,46,400	-3,33,620	AB4200421802231004

3	B76100004	06-MAR-2023	-	1,96,400	-5,30,020	AB4200421802231002
4	B76100002	06-MAR-2023	-	5,79,580	-,11,09,600	AB4200421802231005
5	B76100005	06-MAR-2023	-	1,96,400	-,13,06,000	AB4200421802231003
6	B76100001	06-MAR-2023	-	1,94,000	-,15,00,000	AB4200421802231000
<b>Total</b>			-	<b>15,00,000</b>	<b>-,15,00,000</b>	

### मैनुअल संख्या-12

सहायिकी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा सम्मिलित है:-

- मण्डल स्तर से कोई अनुदान/सहायता की धनराशि स्वीकृत नहीं होती है।

## मैनुअल संख्या-13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारियों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरणः—

- मण्डल स्तर पर यह प्रक्रिया लागू नहीं है।

## मैनुअल संख्या-14

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे:-

- एन.आई.सी. के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रहती है।

## मैनुअल संख्या—15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गयी हो तो उसका भी विवरणः—

- मण्डलायुक्त कार्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध है। इसमें जनसुविधाओं तथा सूचना अभिप्राप्त करने की सुविधा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा सकती है।
- मण्डल कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अंतर्गत सूचना कक्ष बनाया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के मैनुअल व अन्य आवश्यक पुस्तके, शासनादेश विद्यमान हैं।

## मैनुअल संख्या-16

आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी के कार्यालय में कार्यरत लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम, टेलफोन नम्बर और ईमेल आईडी निम्नानुसार नामित किये गये हैं।

### आयुक्त गढ़वाल मण्डल अपीलीय अधिकारी निबन्धन विभाग

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष कार्यालय	ईमेल आईडी
01	श्री विनय शंकर पाण्डेय	आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी	01368	222563	commissioner. garhwal@gmail. com

अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष कार्यालय	ईमेल आईडी
01	श्री नरेन्द्र सिहं कवीरियाल	अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी	01368	222008	commissioner. garhwal@gmail. com

### लोक सूचना अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष कार्यालय	ईमेल आईडी
01	श्री नेत्र सिंह रावत	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गढ़वाल मण्डल पौड़ी	01368	222485	commissioner. garhwal@gmail. com

### सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष कार्यालय	ईमेल आईडी
01	श्री राकेश रावत	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी	0135	2655981	commissioner. garhwal@gmail. com

## मैनुअल-17

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की आयकर विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित ऐसी अतिरिक्त सूचना जिसे विहित किया जाय, को समय- समय पर प्रकाशित कर उपलब्ध कराया जाता है।